उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	29
दिनाँक	:	31 मई, 2012
समय	:	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 31 मई, 2012 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 29वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो ए.के. बख्शी कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. एम.डी. तिवारी, निदेशक, आई.आई.आई.टी, झलवा, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. एस.पी. सिंह, प्राचार्य, नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ	सदस्य
4.	डॉ. एस.पी. गुप्ता निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

8	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	डॉ. संतोषा कुमार, उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
12.	डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
13.	डॉ. ए.के. सिंह कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) प्रो. एच.पी. तिवारी,
पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
389, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद

(2) प्रो. एच.सी. पोखरियाल,
अधिशाषी निदेशक,
स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110009

(3) प्रो. डी.के. वैद्य,
आचार्य एवं डीन समन्वयन, NCERT
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया। माननीय कुलपति जी ने विद्या परिषद् के नये सम्मानित सदस्य प्रो. एम.डी. तिवारी, निदेशक, आई.आई.आई.टी, झलवा, इलाहाबाद का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्य का परिचय विद्या परिषद् के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों से कराया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 29.01

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 16 जुलाई, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 16 जुलाई, 2011 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या** 15-35 ------- उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 16 जुलाई, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 29.02

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 16 जुलाई, 2011 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनाँक 16 जुलाई, 2011 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
27.01	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 28–04–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
27.02	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 28–04–2011 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत	अवगत होने से सम्बन्धित है।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

	होना।		
27.03	दिनाँक 13 जुलाई, 2011 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त एवं संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना		
1.	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 26 अप्रैल, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मान्यता बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 26 अप्रैल, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की। **विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।**	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है
2.	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 26 अप्रैल, 2011 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	यथानुसार सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा चुकी है।
3.	सत्र 2011–12 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु पुनः प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पर विचार।	मान्यता बोर्ड ने सत्र 2011–12 हेतु नये अध्ययन केन्द्र स्थापना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत अनुशंसा से सहमति व्यक्त की। **विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 22 जुलाई, 2011 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/955/ 2011 दिनाँक 30–08–2011 द्वारा प्रभारी, अध्ययन केन्द्र को क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अनुशंसित केन्द्रों को तद्नुसार प्रभारी, अध्ययन केन्द्र द्वारा सूचना दी जा चुकी है।

4.	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दिये जाने से सम्बन्धित पुनः प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पर विचार।	मान्यता बोर्ड ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग समिति एवं स्थलीय निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं से सहमति व्यक्त की। **विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 22 जुलाई, 2011 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/956/ 2011 दिनाँक 30–08–2011 द्वारा प्रभारी, अध्ययन केन्द्र को क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अनुशंसित केन्द्रों को तद्नुसार प्रभारी अध्ययन केन्द्र द्वारा सूचना दी जा चुकी है।
5.	ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ बी. एस–सी/कृषि कार्यक्रम पूर्व से संचालित है, को विश्वविद्यालय मानकानुसार कृषि सम्बन्धी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं जागरुकता कार्यक्रम DDT, DVAPFV, COF, CPHT & VA, CCMAP, CLPS, APDF के संचालन की अनुमति दिये जाने पर विचार।	मान्यता बोर्ड ने ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ बी. एस–सी/कृषि कार्यक्रम पूर्व से संचालित है, को विश्वविद्यालय मानकानुसार कृषि सम्बन्धी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं जागरुकता कार्यक्रम DDT, DVAPFV, COF, CPHT & VA, CCMAP, CLPS, APDF के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसाओं से सहमति व्यक्त की। **विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 22 जुलाई, 2011 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/957/ 2011 दिनाँक 30–08–2011 द्वारा प्रभारी, अध्ययन केन्द्र को क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अनुशंसित केन्द्रों को तद्नुसार प्रभारी अध्ययन केन्द्र द्वारा सूचना दी जा चुकी है।
27.04	विभिन्न विषयों में पी. एच–डी. की मौखिकी परीक्षा	सम्बन्धित सभी शोध छात्र/छात्राओं को पी.एच–डी. उपाधि प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गयी।	दिनाँक 22 जुलाई, 2011 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में

	होने के पश्चात् पी.एच–डी. उपाधि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।		विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 29.03

विद्या परिषद की दीक्षान्त समारोह से सम्बन्धित बैठक दिनाँक 28–02–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 28-02-2012 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या** 36–38 ------- उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने दीक्षान्त समारोह से सम्बन्धित अपनी बैठक दिनाँक 28–02–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 29.04

विद्या परिषद की दीक्षान्त समारोह से सम्बन्धित बैठक दिनाँक 28–02–2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 28–02–2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
28.01	दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को आयोजित होने वाले छठवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2010/जून 2011 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये	विद्या परिषद् ने दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को आयोजित होने वाले छठवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2010/जून 2011 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने से सम्बन्धित पूर्ण सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य	सम्बन्धित पूर्ण सूची दिनाँक 28–02–2012 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने अनुमोदन किया तथा तद्नुसार उपाधि दीक्षात समारोह में वितरित की गयी।

	जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।	परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की।	
28.02	दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को होने वाले छठवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
28.03	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकल विषय में स्नातक कार्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले संशोधित प्रमाण पत्र पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकल विषय में स्नातक कार्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के संशोधित प्रारूप को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की।	दिनाँक 28–02–2012 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रमाण–पत्र के संशोधित प्रारूप को स्वीकार किया गया तथा तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 29.05

सत्र 2012–13 से फोरेन्सिक साइंस विषय में 06 माह के प्रमाण पत्र कार्यक्रम को संचालित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 29–12–2011 की कार्यवृत्त पर विचार

सत्र 2012–13 से फोरेन्सिक साइंस विषय में 06 माह के प्रमाण पत्र कार्यक्रम को संचालित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 29–12–2011 की कार्यवृत्त **संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या** 39 पर उपलब्ध है जिसमें निम्नलिखित संस्तुतियाँ की गयी :–

(i) फोरेन्सिक साइंस विषय में छः माह का प्रमाण पत्र कार्यक्रम सत्र जुलाई, 2012 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की गयी।

(ii) फोरेन्सिक साइंस विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अर्हता 10+2 विज्ञान विषय रखने की संस्तुति की गयी।

(iii) इस प्रमाण पत्र कार्यक्रम का शुल्क रु. 4800/– रखने की संस्तुति की गयी।

(iv) इस प्रमाण पत्र कार्यक्रम को अंग्रेजी माध्यम से शुरू करने की संस्तुति की गयी।

(v) इस कार्यक्रम में 4–4 क्रेडिट के तीन सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र एवं 6–6 क्रेडिट के प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र रखने की संस्तुति की गयी।

(vi) प्रमाण पत्र कार्यक्रम में परीक्षा 70+30 अंक के पैटर्न पर आधारित होगी जिसमें बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रखने की संस्तुति की गयी।

(vii) अधिन्यास कार्य आन लाइन होंगे एवं इसमें केवल बहुविकल्पीय 30 प्रश्न समाहित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(viii) प्रयोगात्मक एवं सैद्धान्तिक पक्ष पर अन्य डिप्लोमा कार्यक्रमों के समान परामर्श सत्र के संचालन की संस्तुति की गयी।

(ix) इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय के ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ विज्ञान कार्यक्रम संचालित है वहीं चलाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की गयी कि उस केन्द्र के अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित फोरेन्सिक साइंस कार्यशाला में प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त की हो।

(x) इस समिति ने डॉ. जी.एस. सोढ़ी, डॉ. गुरविन्दर कौर, (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं डॉ. विमल रार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, फोरेन्सिक साइंस यूनिट, रसायन विज्ञान विभाग, एस.जी.टी.वी. खालसा कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा एक–एक सैद्धान्तिक एवं एक–एक प्रयोगात्मक कोर्स मैटेरियल डेवलप करने हेतु नामित करने की संस्तुति की गयी।

(xi) इस कार्यक्रम के लेखन से सम्बन्धित समस्त कार्य लेखन प्रभारी के देखरेख में सम्पन्न करने की संस्तुति की गयी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने सत्र 2012–13 से फोरेन्सिक साइंस विषय में 06 माह के प्रमाण पत्र कार्यक्रम को संचालित करने हेतु गठित समिति की बैठक की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 29.06

भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या 10–102/ओ.यू./2008/आर.सी.आई./1385 दिनाँक 23 फरवरी, 2012 द्वारा PGPD-SEDE एवं PGPCSE कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता पर विचार

भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या 10–102/ओ.यू./2008/आर.सी.आई./1385 दिनाँक 23 फरवरी, 2012 द्वारा PGPD-SEDE एवं PGPCSE कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता निम्न के अनुसार निर्धारित की गयी है :–

Name of the Programme	Eligibility criteria for admission
Post Graduate Professional Diploma in Special Education (HI/VI/MR)	B.Ed-in General Education
Post Graduate Professional Certificate in Special Education (HI/VI/MR)	B.Ed-in Special Education or B.Ed in General Education With PGPD- SEDE

भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनाँक 23 फरवरी, 2012 जो **संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या** 40-42 पर उपलब्ध है, द्वारा सम्बन्धित कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश दिया है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या 10–102/ओ.यू./2008/आर.सी.आई./1385 दिनाँक 23 फरवरी, 2012 द्वारा PGPD-SEDE एवं PGPCSE कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता को यथावत स्वीकार किया तथा बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम की प्रवेश शुल्क रु. 7500/– से बढ़ाकर रु. 10000/– प्रति वर्ष व पी.जी.पी.डी. कार्यक्रम का प्रवेश शुल्क रु. 7000/– से बढ़ाकर रु. 8000/– करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 29.07

विभिन्न विषयों में पी.एच–डी. की मौखिकी परीक्षा होने के पश्चात् पी.एच–डी. उपाधि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 और प्रथम परिनियमावली 2002 के परिनियम 9.01(5) तथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय पन्द्रह में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में पी.एच–डी. कार्यक्रम चल रहा है। निम्न अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जमा शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर उन्हें पी.एच–डी. उपाधि हेतु अर्ह पाया गया है। इन्हें पी.एच–डी उपाधि दिये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	शोध छात्र/छात्रा का नाम एवं नामांकन संख्या	विद्या शाखा का नाम/विषय का नाम	शोध पर्यवेक्षक का नाम	शोध प्रबन्ध का शीर्षक	मौखिकी परीक्षा तिथि
1	श्री हरी शंकर राम नामांकन सं.–098011294	समाज विज्ञान विद्या शाखा/समाज शास्त्र	डॉ. रवि प्रकाश पाण्डेय, उपाचार्य, समाज शास्त्र विभाग, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	अनुसूचित जाति के ग्रामीण महिलाओं पर आधुनिकीकरण का प्रभाव (वाराणसी जनपद के चोलापुर विकास खण्ड में विस्थापितों पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)	26-04-2012
2.	श्री संजीव कुमार राय नामांकन सं.–099011152	मानविकी विद्या शाखा/पत्रकारिता एवं जनसंचार	डॉ. मोहन अवस्थी, पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी समाचार पत्रों की भूमिका।	29-03-2012
3.	श्री राम किशोर मौर्य नामांकन सं.–07801062	समाज विज्ञान विद्या शाखा/प्राचीन इतिहास	डॉ. प्रमोद कुमार सिंह, उपाचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग, बयालसी डिग्री कालेज, जलालपुर, जौनपुर	पुराणों में राजा के देवत्व की भावना का आलोचनात्मक अध्ययन।	03-04-2012
4.	श्री मनोज कुमार द्विवेदी नामांकन सं.–098011184	मानविकी विद्या शाखा/पत्रकारिता एवं जनसंचार	डॉ. शिव प्रसाद मिश्र, उपाचार्य, हिन्दी विभाग, इन्दिरा गाँधी पी. जी. कालेज, गौरीगंज, सुल्तानपुर	राजनीति का अपराधीकरण और मीडिया की भूमिका (एक शोधपरक विश्लेषण)	03-04-2012

5.	श्री जमाल नसीर नामांकन सं.–07801021	मानविकी विद्या शाखा/पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	डॉ. एम. मासूल रजा, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	DOCTORAL DISSERTATIONS SUMITTED IN THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCE, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH: A COTATOPM STIDU	02-04-2012
6.	श्री कृष्ण मुरारी मिश्र नामांकन सं.–08801185	प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा/वाणिज्य	डॉ. आर.के. सिंह, मोनिरबा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	Financial performance of Indian Banks in post liberalization era : A Study of Public and Private Banks	16-04-2012
7.	सुश्री शिल्पी जायसवाल नामांकन सं.–08801136	समाज विज्ञान विद्या शाखा/इतिहास	प्रो. हेरम्ब चतुर्वेदी, आचार्य, इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मध्यकालीन भारत में यातायात एवं संचार	05-05-2012
8.	श्री शिवेन्दु प्रकाश नामांकन सं.–08801094	शिक्षा विद्या शाखा/शिक्षा शास्त्र	डॉ. गरिमा सिंह, उपाचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, उदय प्रताप महाविद्यालय, वाराणसी	A CONTENT ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION TEXBOOKS OF PRIMARY STAGE IN SCHOOL OF RAJASTHAN	07-05-2012
9.	श्री बुद्ध प्रिय नामांकन सं.–07801004	शिक्षा विद्या शाखा/शिक्षा शास्त्र	डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	A COMPARATIVE STUDY OF UNDERSTANDING OF CONCEPTS IN SCIENCE & MATHEMATICS AMONG VISUALLY IMPAIRED, HEARING IMPAIRED & NARMAL STUDENTS AT JUNIOR HIGH SCHOOL	07-05-2012

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

विद्या परिषद् ने सम्बन्धित सभी शोध छात्र/छात्राओं को पी.एच–डी. उपाधि प्रदान किये जाने की अनुशंसा करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 29.08

Certificate Course in Communication & Information Technology (CCCIT) कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर से सम्बन्धित कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में 06 माह का Certificate Course in Communication & Information Technology (CCCIT) कार्यक्रम तत्कालीन माननीय कुलपति जी के आदेश से संचालित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

विद्या परिषद Certificate Course in Communication & Information Technology (CCCIT) कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 29.09

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की दिनाँक 08–07–2011 को सम्पन्न 479वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 2.05 के अनुक्रम में Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2004 में Ph.D कार्यक्रम एवं वर्ष 2007 में M.Phil कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत **यू.जी.सी. (M.Phil/Ph.D. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009** में Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में न्यूनतम मानक घोषित किये गये हैं **(संलग्नक–05 पृष्ठ संख्या** 43-44) जिसके बिन्दु 05 के परिप्रेक्ष्य में Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रमों के संचालन को शैक्षिक सत्र 2009–10 से स्थगित कर दिया गया था एवं पूर्व में इस कार्यक्रम में नामांकित अथवा विचाराधीन प्रकरणों को ही शोध कार्य करने की अनुमति दी जा रही थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की दिनाँक 08–07–2011 को सम्पन्न 479वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 2.05 **(संलग्नक–06 पृष्ठ संख्या** 45-47) के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/ Ph.Dउपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009** के आधार पर तैयार किये गये Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रमों की दिशा निर्देश विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 के आधार पर तैयार किये गये Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रमों की दिशा निर्देश को निम्न संशोधनों (संलग्नक–07 पृष्ठ संख्या 49–53 एवं संलग्नक –08 पृष्ठ संख्या 54–59) के साथ स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया :–

(i) Ph.D कार्यक्रम के दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 19 में शोध छात्रों को अपने शोध निर्देशक के परामर्श के अनुसार शोध कार्य हेतु सम्पूर्ण अवधि में 360 दिन की उपस्थिति के स्थान पर अनिवार्य रूप से 200 दिन की उपस्थिति दर्ज कराये जाने की संस्तुति की।

(ii) Ph.D कार्यक्रम के शोध प्रबन्ध में साहित्य चोरी न होने का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था से प्राप्त करके शोध प्रबन्ध के साथ संलग्न किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 29.10

सत्र 2012–13 से विश्वविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों यथा प्रवेश, परामर्श, परीक्षा, अधिन्यास, पाठ्य सामग्री, परियोजना कार्य आदि में सुधार हेतु विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./175/2012 दिनाँक 02–05–2012 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 17–05–2012 के कार्यवृत्त पर विचार

शैक्षिक सत्र 2012–13 से विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों यथा प्रवेश, परामर्श, परीक्षा, अधिन्यास, पाठ्य सामग्री, परियोजना कार्य आदि में सुधार हेतु विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./175/2012 दिनाँक 02–05–2012 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 03 एवं 04 मई, 2012 में की गयी संस्तुतियों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा पुनः इस संस्तुतियों पर क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयकों के साथ बैठक कर विचार प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयकों के साथ गठित समिति की बैठक दिनाँक 17–05–2012 को आयोजित की गयी। बैठक में दिनाँक 03 एवं 04 मई, 2012 को समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए अन्य संस्तुतियाँ भी की गयीं। दिनाँक 03 एवं 04 मई, 2012 की कार्यवृत्त संलग्नक –09 पृष्ठ संख्या 60–71 एवं दिनाँक 17–05–2012 की कार्यवृत्त संलग्नक –10 पृष्ठ संख्या 72–75 पर उपलब्ध है।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

"विद्या परिषद् ने सत्र 2012–13 से विश्वविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों यथा प्रवेश, परामर्श, परीक्षा, अधिन्यास, पाठ्य सामग्री, परियोजना कार्य आदि में सुधार हेतु विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./175/2012 दिनाँक 02–05–2012 द्वारा गठित समिति की दिनाँक 03 एवं 04 मई, 2012 के बैठक तथा क्षेत्रीय केन्द्र के समन्वयकों के साथ दिनाँक 17–05–2012 के बैठक की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 29.11

शैक्षिक सत्र 2012–13 से योग में एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालन पर विचार

विगत कुछ वर्षो से योग सम्बन्धी कार्यक्रम एक नवीन क्षेत्र के रूप में सामने आया है जिसके परिप्रेक्ष्य में योग सम्बन्धी कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है एवं इस विधा में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय द्वारा योग में 06 माह का प्रमाण–पत्र कार्यक्रम प्रदेश स्थित कई अध्ययन केन्द्रों पर संचालित किया जा रहा है। योग के बढ़ते हुए लोकप्रियता एवं कई अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों के मांग को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय आगामी शैक्षिक सत्र 2012–13 से योग में एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करना चाहता है। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु मा. कुलपति जी द्वारा दिनाँक 07–05–2012 को एक समिति गठित की गयी है। गठित समिति द्वारा दिनाँक 30–05–2012 के बैठक में योग में डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रश्न पत्रों का निर्धारण किया गया जो **संलग्नक –11 पृष्ठ संख्या** 76-77 **पर उपलब्ध है।**

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

विद्या परिषद् ने शैक्षिक सत्र 2012–13 से योग में एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालन किये जाने तथा इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु मा. कुलपति जी द्वारा गठित समिति की दिनाँक 30–05–2012 की बैठक की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ. (ए.के. सिंह)
कुलसचिव

संलग्नक -01

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 16 जुलाई, 2011 को अपराह्न 2:30 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 27वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो नागेश्वर राव, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस.पी. सिंह, प्राचार्य, नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ	सदस्य
3.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. संतोषा कुमार, उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

9. डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव — सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, — सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

11. डॉ. ए.के. सिंह — सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) प्रो. विनय पाठक,
कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल

(2) प्रो. ए.के. गुप्ता,
(पूर्व निदेशक, जे.के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)
फ्लैट नं. – 113, अशोक नगर, दुर्गा पूजा पार्क के पास,
विनायक इन्क्लेव, इलाहाबाद

(3) प्रो. पी.आर. अग्रवाल,
स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज,
एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद

(4) डॉ. जोखन सिंह,
(पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय)
द्वारा – श्री राजेश सिंह, ब्रोचा हास्टल,
ए–ब्लाक, वार्डन क्वार्टर,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(5) डॉ. एस.पी. गुप्ता,
निदेशक, शिक्षा विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(6) डॉ. पी.के. पाण्डेय,
उप निदेशक/उपाचार्य, शिक्षा विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्य डॉ. संतोषा कुमार, उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद; डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एवं डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने विद्या परिषद् के पूर्व सदस्य डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ; डॉ. अच्छे लाल, अस्टिेण्ट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एवं श्रीमती मीरा पाल, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा विद्या परिषद् में दिये गये योगदान की सराहना की। कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्य का परिचय विद्या परिषद् के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों से कराया।

कुलपति जी ने विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों को निम्नलिखित बिन्दुओं से अवगत कराया :–

1. विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु वर्ष 2010 में प्रस्ताव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया था, जिसके सापेक्ष केन्द्र सरकार ~~द्वारा~~ परीक्षण कार्य किया जा रहा है।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय को 12B के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समिति का गठन किया जा चुका है।
3. दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से इस वर्ष रु. 3.50 करोड़ से बढ़कर रु. 4.20 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है।
4. विश्वविद्यालय विजन की कार्यशाला का आयोजन दिनाँक 12–06–2011 को किया गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.01

विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 28–04–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 28-04-2011 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक .. पृष्ठ संख्या ——— उपलब्ध है। किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 28–04–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.02

विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 28–04–2011 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 28–04–2011 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
26.01	विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 15–05–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.02	विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 15–05–2010 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

26.03	विद्या परिषद की आपातकालीन बैठक दिनाँक 02–06–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.04	विद्या परिषद की आपातकालीन बैठक दिनाँक 02–06–2010 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	प्रकरण दिनाँक 02–06–2010 को कार्य परिषद् की आपातकालीन बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा निर्णयानुसार प्रस्ताव राज्यपाल सचिवालय को विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू. /285/2010 दिनाँक 08–06–2010. द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।
26.05	विद्या परिषद की आपातकालीन बैठक दिनाँक 04 अगस्त, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.06	विद्या परिषद की आपातकालीन बैठक दिनाँक 04 अगस्त, 2010 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	प्रकरण दिनाँक 06 अगस्त, 2010 को कार्य परिषद् में प्रस्तुत किया गया तथा निर्णयानुसार प्रवेश हेतु विज्ञापन कराते हुए कार्यवाही की गयी।
26.07	विद्या परिषद की दीक्षान्त समारोह हेतु बैठक दिनाँक 20–12–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

26.08	विद्या परिषद की दीक्षान्त समारोह हेतु बैठक दिनाँक 20–12–2010 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	प्रकरण दिनाँक 20–12–2010 को कार्य परिषद् में प्रस्तुत किया गया तथा निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
26.09	दिनाँक 29 नवम्बर, 2010 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त एवं संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
26.10	विभिन्न विषयों में पी. एच–डी. की मौखिकी परीक्षा होने के पश्चात् पी.एच–डी. उपाधि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।	निश्चय किया गया कि सम्बन्धित सभी शोध छात्र/छात्राओं को पी.एच–डी. उपाधि प्रदान की जाय।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
26.11	**दिनाँक 23 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार।**		
1.	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 14 दिसम्बर, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	योजना बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 14 दिसम्बर, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है
2.	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 14 दिसम्बर, 2010 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	अवगत होते हुए यथानुसार सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा चुकी है।
3.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद से प्राप्त तीसरे चरण की भूमि के सम्यक उपयोग के	विश्वविद्यालय प्रशासन ने भूमि को कटीले तारों एवं पत्थर के पिलर से घेराबन्दी हेतु रु. 3.61 लाख एवं चहारदीवारी निर्माण हेतु रु. 70.75 लाख के प्राप्त अनुमानों से योजना बोर्ड के सदस्यों को अवगत	(1) चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव/अनुदान को विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू. /87/2011 दिनाँक

	सम्बन्ध में विचार।	कराया। योजना बोर्ड ने निम्न सुझाव दिया :– 4. भूमि के घेराबन्दी का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। 5. भूमि के चहारदीवारी निर्माण के प्रस्ताव को शीघ्रताशीघ्र क्रियान्वित किया जाय। 6. (अ) इस भूमि पर शिक्षकों हेतु निम्नानुसार आवास व्यवस्था की जाय :– (i) 06 आवास – आचार्य/निदेशक के लिए (ii) 04 आवास – एसोसिएट प्रोफेसर/उप निदेशक/उपाचार्य के लिए (iii) 10 आवास – असिस्टेण्ट प्रोफेसर/सहायक निदेशक के लिए (ब) अधिकारियों हेतु 06 आवास बनाये जाय जो 01 कुलसचिव, 01 वित्त अधिकारी, 02 उप कुलसचिव एवं 02 सहायक कुलसचिव के लिए हो। (स) तृतीय श्रेणी कर्मचारियों हेतु 30 आवास की व्यवस्था की जाय। (4) 100 छात्रों के ठहरने हेतु 01 हाल एवं चारों ओर कमरे के तीन मंजिले भवन की योजना बनाई जाय। (5) 300 व्यक्तियों के क्षमता का आडीटोरियम का निर्माण कराया जाय। योजना बोर्ड ने उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् के	04–04–2011 द्वारा शासन को प्रेषित किया जा चुका है। (2) अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है। (3) रजिस्ट्री आदि की प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने हेतु इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद को विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./375/2011 दिनाँक 23–05–2011 एवं पत्राँक ओ.यू./वी.सी./2092/2011 दिनाँक 28–06–2011 द्वारा अनुरोध किया गया है।

		विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार दिनाँक 03–05–2011 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।
4.	सत्र 2011–12 से नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 08–04–2011 की कार्यवृत्त पर विचार।	योजना बोर्ड ने निम्न कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया :– (1) "शिक्षा का अधिकार" प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। (2) सांख्यिकी विषय के अन्तर्गत "डिप्लोमा इन एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एवं कम्प्यूटर" तथा "सर्टीफिकेट कोर्स इन एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एवं कम्प्यूटर" के संचालन हेतु प्रस्ताव मान्य किया जाय। (3) समिति ने MASTAT (एम.ए. स्टैटिस्टिक्स) एवं PGSTAT (एम.एस–सी. स्टेटिस्टिक्स) के कोर्स स्ट्रक्चर एवं पेपर काण्टेण्ट में समानता को ध्यान में रखते हुए संस्तुत किया कि ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ MASTAT पहले से चल रहा हो वहाँ PGSTAT तथा जहाँ PGSTAT पहले से चल रहा हो वहाँ MASTAT की मान्यता दे देना उचित होगा। (4) बी.ए. एवं एम.ए. में प्राचीन इतिहास विषय प्रारम्भ किया जाय। (5) दो वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 01 वर्ष का ब्रिज कोर्स प्रारम्भ किया जाय। (6) समाज विज्ञान विद्या शाखा में स्नातक स्तर पर बी.एस.डब्ल्यू कार्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को मान्य किया जाय। (7) इग्नू में चल रहे कृषि विज्ञान विद्या शाखा के कार्यक्रमों को आधार मानते हुए विश्वविद्यालय के	

		कृषि विज्ञान विद्या शाखा में डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नालॉजी (DDT), डिप्लोमा इन वैल्यू ऐडेड प्रोडक्ट्स फ्राम फ्रूट्स एण्ड वेजिटेबुल्स (DVAPFV) तथा सर्टीफिकेट इन आर्गेनिक फार्मिंग (COF) कार्यक्रमों के संचालन के प्रस्ताव को मान्य किया जाय। समिति ने इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के शोध जर्नल की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया जिसमें शोध सारांश, बुक Review और सम्पादकीय परामर्श मण्डल के गठन आदि का सुझाव दिया गया। योजना बोर्ड ने उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	(1) दिनाँक 03–05–2011 को कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। निर्णयानुसार सम्बन्धित अनुशंसाओं को सूचना विवरणिका सत्र 2011–12 में सम्बन्धित कार्यक्रमों .को सम्मिलित किया जा चुका है। (2) इसके अतिरिक्त डॉ. एस.पी. गुप्ता मुख्य सम्पादक, शोध जर्नल को इस आशय का पत्र संख्या ओ.यू./733/2011 दिनाँक 04–07–2011 को प्रेषित किया जा चुका है।

26.12.	दिनाँक 26 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 29 नवम्बर 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 29 नवम्बर 2010 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	प्रकरण विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया गया । कार्य परिषद् की दिनाँक 03–05–2011 की बैठक के निर्णयानुसार प्रभारी अध्ययन केन्द्र द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है।
3.	सत्र 2011–12 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पर विचार।	मान्यता बोर्ड ने आगामी सत्र हेतु नये अध्ययन केन्द्र स्थापना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की। यह भी निर्णय लिया गया की भविष्य में नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव/आवेदन पत्रों को दो प्रतियों में प्राप्त किया जाय एवं प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों को स्क्रीनिंग समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ही स्थलीय निरीक्षण का कार्य कराया जाय। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। तद्नुसार सूचना विवरणिका सत्र 2011–12 में सम्मिलित किया जा चुका है।
4.	पूर्व में संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये	मान्यता बोर्ड ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं से सहमति व्यक्त	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया

	जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पर विचार।	की। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। तद्नुसार सूचना विवरणिका सत्र 2011–12 में सम्मिलित किया जा चुका है।
5.	अध्ययन केन्द्रों के खोले जाने हेतु निर्धारित मानक में कतिपय संशोधन पर विचार।	मान्यता बोर्ड के सदस्यों ने अध्ययन केन्द्र के मान्यता के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये :– (1) MASTAT (एम.ए. स्टैटिस्टिक्स) एवं PGSTAT (एम.एस–सी. स्टैटिस्टिक्स) के कोर्स स्ट्रक्चर एवं पेपर काण्टेण्ट में समानता को ध्यान में रखते हुए संस्तुत किया कि ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ MASTAT पहले से चल रहा हो वहाँ PGSTAT तथा जहाँ PGSTAT पहले से चल रहा हो वहाँ MASTAT की मान्यता देना उचित होगा। (2) BLIS कार्यक्रम की मान्यता हेतु पूर्व निर्धारित मानक में निम्नलिखित संशोधन की अनुशंसा की गयी :– "उच्च शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षो की पंजीकृत संस्था एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक स्तर के कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव" (3) BCA पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु पूर्व निर्धारित मानक में निम्नलिखित संशोधन की अनुशंसा की गयी :– "10 + 2 अर्हता स्तर के डिप्लोमा/प्रमाण पत्र कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव" (4) पूर्व मानक में PGDFM कार्यक्रम त्रुटिवश आवेदन पत्र मानक सहित के पृष्ठ 2 (बिन्दु 9.1) में अंकित था। इसे "MBA, प्रबन्धन में अन्य स्नातकोत्तर कार्यक्रम तथा P.G. Diploma कार्यक्रम" के अन्तर्गत समाहित किये जाने की संस्तुति की गयी।	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

		(5) DFD, DTD, DIP, DHA आदि के साथ DHEN, DCDN, DECE, कार्यक्रमों का आवंटन B.Sc. (Home Science) के अतिरिक्त BA (Home Science) कार्यक्रम होने पर भी अनुमति दी जायेगी। मान्यता बोर्ड ने उपरोक्त सुझावों को स्वीकार किया। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के उक्त अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	
26.13	**दिनाँक 27 अप्रैल, 2011 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार।**		
1.	परीक्षा समिति की पिछली बैठक दिनाँक 19 अप्रैल, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	विगत बैठक के निर्णयों के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	परीक्षा जून, 2010 के सापेक्ष गठित UFM समिति एवं संवीक्षा समिति की संस्तुतियों से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।

4.	परीक्षा दिसम्बर, 2010 में अनुचित साधनों के मामलों को निस्तारित करने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।	परीक्षा दिसम्बर, 2010 में अनुचित साधनों के मामलों में कुल 82 छात्र पकड़े गये, जिसके सापेक्ष UFM समिति का निर्णय सार निम्नवत है :– (i) 01 दोष मुक्त हुआ। (ii) 40 छात्रों के सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त किये गये। (iii) 40 छात्रों के वर्तमान सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त हुई। (iv) 01 प्रकरण लम्बित। समिति द्वारा यथावत स्वीकार किया गया। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./401/2011 दिनाँक 24–05–2011 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को अनुशंसा.की प्रति संलग्न करते हुए क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
5.	शासन के पत्र दिनाँक 29 मार्च, 2011 पर विचार।	"राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परीक्षा सम्बन्धी कार्यो की पारिश्रमिक दरों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या–306/सत्तर–1–2011–15(32)/81 दिनाँक 29 मार्च, 2011 को यथावत स्वीकार किया गया। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./389/2011 दिनाँक 24–05–2011 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को समिति की अनुशंसा की प्रति संलग्न करते हुए क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।

6.	परीक्षा दिसम्बर, 2007 तक की उत्तर पुस्तिका नष्ट करने के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार।	समिति की संस्तुतियों को परीक्षा समिति ने स्वीकार किया। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./387/2011 दिनाँक 24–05–2011 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को अनुशंसा की प्रति संलग्न करते हुए क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
7.	परीक्षा जून, 2011 हेतु केन्द्र निर्धारण के मानक पर विचार।	समिति ने परीक्षा केन्द्र निर्धारण के दिशा निर्देश की अनुशंसा की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./388/2011 दिनाँक 24–05–2011 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को अनुशंसा की प्रति संलग्न करते हुए क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
26.14	सांख्यिकी स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला एवं विज्ञान वर्ग) के पाठ्यक्रम संरचना के पुर्नगठन एवं संशोधन हेतु प्रकरण पर परीक्षण के लिए गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–04–2011 की	विद्या परिषद् ने सांख्यिकी विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला एवं विज्ञान वर्ग) के पाठ्यक्रम संरचना के पुर्नगठन एवं संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–04–2011 की अनुशंसाओ को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। तद्नुसार सूचना विवरणिका सत्र 2011–12 में सम्मिलित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू.

	अनुशंसाओं पर विचार।		/394/2011 दिनाँक 24–05–2011 द्वारा प्रभारी, प्रवेश प्रकोष्ठ को अनुशंसाा की प्रति संलग्न करते हुए क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
26.15	शैक्षिक योजना बनाने हेतु गठित समिति की बैठक की अनुशंसाओं पर विचार।	विद्या परिषद् ने विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया व परीक्षा व्यवस्था आदि विषयों पर विचार–विमर्श करने एवं वर्ष 2011–12 के लिए शैक्षिक योजना बनाने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार दिनाँक 03 मई, 2011 को कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./393/2011 दिनाँक 24–05–2011 द्वारा प्रभारी, प्रवेश प्रकोष्ठ को अनुशंसाा की प्रति संलग्न करते हुए क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.03

दिनाँक 13 जुलाई, 2011 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त एवं संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

दिनाँक 13 जुलाई, 2011 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त निम्नवत है :–

1. **मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 26 अप्रैल, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

   मान्यता बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 26 अप्रैल, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

   विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

   विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. <u>मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 26 अप्रैल, 2011 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना</u>

मान्यता बोर्ड अपनी पिछली बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 2011 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न के अनुसार अवगत हुई :

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछले बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही
12.01	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
12.02	मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2010 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
12.03	सत्र 2011–12 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पर विचार।	मान्यता बोर्ड गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं से अवगत होते हुए कुलपति जी के अनुमोदन से सहमति व्यक्त की।	निर्णयानुसार सम्बन्धित केन्द्रों को विश्वविद्यालय के पत्राँक संख्या 0001–0063 दिनाँक 16–05–2011 द्वारा सूचित किया जा चुका है तथा तद्नुसार प्रवेश विवरणिका सत्र 2011–12 में सम्मिलित कर लिया गया है।
12.04	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम संचालन हेतु अनुमति दिए जाने सम्बन्धी निरीक्षण समिति की संस्तुतियों पर विचार।	मान्यता बोर्ड गठित निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं से अवगत होते हुए कुलपति जी के अनुमोदन से सहमति व्यक्त की।	निर्णयानुसार सम्बन्धित केन्द्रों को विश्वविद्यालय के पत्राँक संख्या 0064 – 0128 दिनाँक 16–05–2011 द्वारा सूचित किया जा चुका है तथा तद्नुसार प्रवेश विवरणिका सत्र 2011–12 में सम्मिलित कर लिया गया है।

12.05	अध्ययन केन्द्रों के खोले जाने हेतु निर्धारित मानक में कतिपय संशोधन पर विचार।	मान्यता बोर्ड माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति के मानक संशोधन के अनुशंसाओं से सहमति व्यक्त की।	सत्र 2011–12 से नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु संशोधित मानक के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 26 अप्रैल, 2011 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

3. <u>सत्र 2011–12 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु पुनः प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पर विचार</u>

सत्र 2011–12– में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना पुनः 19 आवेदन–पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों की सूची संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है। कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ऐसे सभी आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के लिये एक समिति गठित की गयी। समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों के आधार पर क्षेत्रीय केन्द्रवार गठित विशेषज्ञ मण्डल द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्राप्त स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संस्तुत/असंस्तुत आख्या कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ऐसे प्रकरणों पर मान्यता बोर्ड ने विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने सत्र 2011–12 हेतु नये अध्ययन केन्द्र स्थापना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत अनुशंसा के अनुमोदन से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

4. <u>पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दिये जाने से सम्बन्धित पुनः प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पर विचार।</u>

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने हेतु पुनः 45 आवेदन पत्र/ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के सापेक्ष प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों का परीक्षण गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त कुछ प्रस्तावों/आवेदनों को क्षेत्रीय केन्द्रवार गठित विशेषज्ञ मण्डलों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण हेतु संस्तुत किया गया। स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्राप्त आख्या, जो संलग्नक पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है, कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ऐसे अध्ययन केन्द्रों के प्रकरण पर मान्यता बोर्ड ने विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग समिति एवं स्थलीय निरीक्षण मण्डल से प्राप्त अनुशंसाओं के अनुमोदन से सहमति व्यक्त की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

5. <u>ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ बी.एस–सी/कृषि कार्यक्रम पूर्व से संचालित है, को विश्वविद्यालय मानकानुसार कृषि सम्बन्धी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं जागरुकता कार्यक्रम (DDT, DVAPFV, COF, CPHT & VA, CCMAP, CLPS, APDF के संचालन की अनुमति दिये जाने पर विचार।</u>

विश्वविद्यालय के ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ बी.एस–सी/कृषि कार्यक्रम पूर्व से संचालित है, को विश्वविद्यालय मानकानुसार कृषि सम्बन्धी डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं जागरुकता कार्यक्रम (DDT, DVAPFV, COF, CPHT & VA, CCMAP, CLPS, APDF के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा, जो संलग्नक–..... पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है, मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सम्बन्धित प्रकरण पर मान्यता बोर्ड ने विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ बी.एस–सी/कृषि कार्यक्रम पूर्व से संचालित है, को विश्वविद्यालय मानकानुसार कृषि सम्बन्धी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं जागरुकता कार्यक्रम (DDT, DVAPFV, COF, CPHT & VA, CCMAP, CLPS, APDF के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति से प्राप्त अनुशंसाओं के अनुमोदन से सहमति व्यक्त की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.04

विभिन्न विषयों में पी.एच–डी. की मौखिकी परीक्षा होने के पश्चात् पी.एच–डी. उपाधि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 और प्रथम परिनियमावली 2002 के परिनियम 9.01(5) तथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय पन्द्रह में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में पी.एच–डी. कार्यक्रम चल रहा है। निम्न अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जमा शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन एवं मौखिकी परीक्षा के आधार पर उन्हें पी.एच–डी. उपाधि हेतु अर्ह पाया गया है। इन्हें पी.एच–डी उपाधि दिये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	शोध छात्र/छात्रा का नाम एवं नामांकन संख्या	विद्या शाखा का नाम/विषय का नाम	शोध पर्यवेक्षक का नाम	शोध प्रबन्ध का शीर्षक	मौखिकी परीक्षा तिथि
1	श्रीमती पूर्णिमा सिंह नामांकन सं.–07801006	समाज विज्ञान विद्या शाखा/प्राचीन इतिहास	प्रो. गीता देवी, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास एवं परातत्व सर्वेक्षण विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	THE POSITION OF WOMEN IN ANCIENT INDIA (600-1200 A.D)	15-06-2011

2.	दीपाली पाण्डेय नामांकन सं.–07801072	समाज विज्ञान विद्या शाखा/इतिहास	डॉ. योगेश्वर तिवारी, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मध्यकालीन भारत में दासता	20-06-2011
3.	पंकज रावत नामांकन सं.–098011206	मानविकी विद्या शाखा/पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	डॉ. पी.पी. रावत, अवकाश प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना विभाग, एस.जी.पी.जी.आई, लखनऊ	EVALUATION AND UTILITY OF E RESOURCES IS THE AYURVEDIC INSTITUTION OF UP	25-06-2011
4.	गौरव सिंह नामांकन सं.–07801005	प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा/व्यवसाय प्रबन्धन	प्रो. एच.के. सिंह, प्रोफेसर प्रबन्धन विभाग, बी.एच.यू. वाराणसी	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HOSPITALS (A COMPARATIVE STUDY OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR UNITS OF UTTER PRADESH)	27-06-2011
5.	कृपा किंजलकम् नामांकन सं.–07801051	मानविकी विद्या शाखा/हिन्दी	डॉ. किशोर शर्मा, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	कबीर की काव्य भाषा में प्रयुक्त शब्दों के मूल स्रोत एवं उनकी सृजनशीलता	07-07-2011
6.	श्रीमती मनोज मिश्रा नामांकन सं.–08801101	समाज विज्ञान विद्या शाखा/प्राचीन इतिहास	डॉ. हर्ष कुमार, उपाचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	पूर्व मध्यकाल में सूद्र : एक अवलोकन	12-07-2011
7	रणजीत कुमार सिंह नामांकन सं.–07801033	समाज विज्ञान विद्या शाखा/प्राचीन इतिहास	डा. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	भारत में सामन्ती राजनीति एवं राज्य सत्ता के पतन की विवेचना (700 से 1200 ई0)	12-07-2011

8.	प्रभात चन्द्र मिश्र नामांकन सं.–07801022	मानविकी विद्या शाखा/पत्रकारिता एवं जनसंचार	डॉ. अर्जुन तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	उत्तराखण्ड की हिन्दी पत्रकारिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन	12-07-2011

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

निश्चय किया कि सम्बन्धित सभी शोध छात्र/छात्राओं को पी.एच–डी. उपाधि प्रदान करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

कुलसचिव

संलग्नक - 02

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 28 फरवरी, 2012 को अपराह्न 2:00 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो ए.के. बख्शी कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस.पी. सिंह, प्राचार्य, नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ	सदस्य
3.	डॉ. एस.पी. गुप्ता निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. संतोषा कुमार, उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

10. डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव — सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, — सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. डॉ. आर.पी.एस. यादव, — विशेष आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

13. डॉ. ए.के. सिंह — सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने सभी सम्मानित सदस्यों को दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को होने वाले दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने हेतु आग्रह किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.01

दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को आयोजित होने वाले छठवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2010/जून 2011 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।

विद्या परिषद् ने दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को आयोजित होने वाले छठवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2010/जून 2011 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को आयोजित होने वाले छठवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2010/जून 2011 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु पूर्ण सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.02

दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को होने वाले छठवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।

कुलपति जी ने दिनाँक 29 फरवरी, 2012 को होने वाले छठवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.03

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकल विषय में स्नातक कार्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले संशोधित प्रमाण पत्र पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप, कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 29 मार्च, 2006 के संकल्प संख्या 24.10 के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है **(संलग्नक – 01)**। इस प्रारूप में सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय, जहाँ से वह स्नातक उपाधि धारक है, का विवरण दिया जाना होता है। विश्वविद्यालय में जब से यह कार्यक्रम संचालित किया गया है तभी से सम्बन्धित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है क्योंकि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय, जहाँ से वह स्नातक उपाधि प्राप्त किये हैं, का विवरण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस कारण प्रमाण पत्र बनाया नहीं जा सका।

विश्वविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले उपाधि/प्रमाण पत्र में उनके द्वारा धारित अर्हता का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकल विषय के स्नातक कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का संशोधित प्रारूप विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है **(संलग्नक–02)**।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकल विषय में स्नातक कार्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के संशोधित प्रारूप को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ. (ए.के. सिंह)
कुलसचिव

उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संलग्नक -03

कार्यवृत्त

फोरेन्सिक साइंस विषय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29.12.2011 को विश्वविद्यालय के बैठक कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित संस्तुतियां की गई :–

1. फोरेन्सिक साइंस विषय में छः माह का प्रमाण पत्र कार्यक्रम सत्र जुलाई 2012 से प्रारम्भ करने की सेस्तुति की गई।
2. फोरेन्सिक साइंस विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अर्हता 10+2 विज्ञान विषय रखने की संस्तुति की गई।
3. इस प्रमाण पत्र कार्यक्रम का शुल्क रु0 4800/– रखने की संस्तुति की गई।
4. इस प्रमाण पत्र कार्यक्रम को अंग्रेजी माध्यम से शुरु करने की संस्तुति की गई।
5. इस कार्यक्रम में 4–4 केडिट के तीन सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र एवं 6–6 केडिट के दो प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र रखने की संस्तुति की गई।
6. प्रमाण पत्र कार्यक्रम में परीक्षा 70+30 अंक के पैटर्न पर आधारित होगी जिसमें बहुबिकल्पीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रखने की संस्तुति की गई।
7. अधिन्यास कार्य आन लाइन होंगे एवं इसमें केवल बहुबिकल्पीय 30 प्रश्न समाहित किये जाने की संस्तुति की गई।
8. प्रयोगात्मक एवं सैद्धान्तिक पक्ष पर अन्य डिप्लोमा कार्यक्रमों के समान परामर्श सत्र चलाने की संस्तुति की गई।
9. इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय के ऐसे अध्ययन केन्दों पर जहॉ विज्ञान कार्यक्रम संचालित है वही चलाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की गई कि उस केन्द्र के अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित फोरेन्सिक साइंस कार्यशाला में प्रतिभाग कर ट्रेनिंग प्राप्त की हो।
10. इस समिति ने डॉ. जी.एस. सोढी, डॉ. गुरविन्दर कौर, (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं डॉ. विमल रार, असि. प्रोफेसर, फोरेन्सिक साइंस यूनिट, रसायन विज्ञान विभाग, एस.जी.टी.वी. खालसा कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा एक–एक सैद्धान्तिक एवं एक–एक प्रयोगात्मक कोर्स मैटेरियल डेवलप करने हेतु नामित करने की संस्तुति की गई।
11. इस कार्यक्रम के लेखन से सम्बन्धित समस्त कार्य लेखन प्रभारी के देखरेख में सम्पन्न करने की संस्तुति की गई

39

(डॉ० पी०वी० दूबे) (डॉ० विमल रार) (डॉ० संतोष कुमार)

(डॉ० जी० के० त्रिवेदी) (डॉ० एच० सी० जायसवाल)

भारतीय पुनर्वास परिषद् संलग्नक-04
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)

REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

(A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empowerment)

10-102/OU/2008/RCI 1380

दिनांक/Date 23rd February,2012
Speed Post

Prof. S. P. Gupta
Uttar Pradesh Rajarshi Tondon Open University
University Campus, Shantipuram (Sector-F),
Phaphamau, Allahabad-211013

Prof S.P. Gupta
चर्चा करें।
12/03/12

Sub: Eligibility Criteria for Admission to PGPD-SEDE & PGPCSE-reg.

Madam/Sir,

Kindly refer to the subject as mentioned above and to inform you that the e Eligibility Criteria for Admission to PGPD-SEDE & PGPCSE are as follows,

Name of the Programme	Eligibility criteria for admission
Post Graduate Professional Diploma in Special Education (HI/VI/MR)	B. Ed.- in General Education
Post Graduate Professional Certificate in Special Education (HI/VI/MR)	B. Ed.-in Special Education or B. Ed in General Education with PGPD-SEDE

You are requested to follow the above said Eligibility Criteria for providing admission to the candidates who have applied for any of the course. Further, it is advised that the said criteria may please be included in the programme guide with immediate effect under intimation to the Council in order to avoid future complications.

Regards,

कुलपति जी,
PGPD के eligibility criteria में change की जरूरत होगी।
यदि उचित समझें तो विद्या परिषद में विचारार्थ रखवाया जाये।

Yours faithfully

Dr. J.P. Singh
(Member Secretary)

For Academic Council meetg.
40
Registrar
20/03/12

बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110 016
B-22, Qutub Institutional Area, New Delhi – 110 016
Ph.: 011-2653 2408, 2653 2384, 2653 4287, 2653 2816 Fax : 011-2653 4291
E-mail : rehabstd@nde.vsnl.net.in, rehcouncil_delhi@bol.net.in
Website : www.rehabcouncil.nic.in

REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

(A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empowerment)

No .... दिनांक/Date................................

14-1/UPRTOU/2008/RCI 2216 27 March,2012

Speed Post

Prof. S. P. Gupta
Uttar Pradesh Rajarshi Tondon Open University,
University Campus, Shantipuram (Sector-F),
Phaphamau, Allahabad-211013

Sub: Eligibility Criteria for admission to B.Ed.-SEDE Program-reg.

Dear Sir,

Kindly refer your letter no. Nil dt. 19/01/2012 on the subject as mentioned above and to inform you that that the Council has revised the admission criteria for admission to B.Ed.-SEDE program during the meeting held on 20th October,2010 at RCI New Delhi and the minutes are earlier sent to all open Universities.

Further it is to mention as per the criteria decided for admission in the meeting as mentioned in the minutes ref.:.3.c.c. page 3, approved programmes of Council in regular and distance mode is enclosed for reference. Also the guidelines developed by Council for minimum requirement of RCI approved qualification also mentions the qualification approved by RCI. (copy attached). All these information is available on the Council's website.

With reference to this you are requested to apply the eligibility criteria as well as fee structure for both the programs i.e. B.Ed.-SEDE & PGPD-SEDE program as decided in the above said meeting

An early action in this regard will be highly appreciated.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sandeep P Tambe
Asst. Director (Acads.)

Encl:

(A) Minutes of the meeting held on 20th October,2012
(B) List of RCI approved programs
(C) RCI norms for recruitment along with Rehab Qualification.

41

2. The following fee structure for special education (distance education) programmes was revised and finalized :

Sl. NO.	Name of the programme	Revised Fee Structure (In Rs.)	w.e.f. the Academic year Session
1	M.Ed.-SEDE	36000/-	2011-13
2	B.Ed.-SEDE	20000/-	2011-13
3	PGPD	8000/-	2011-13
4	PGPC	5000 /-	2011-13

3. There is no modification in the eligibility criteria for admission in M.Ed-SEDE, PGPD-SEDE, and PGPC-SEDE programmes. But eligibility criteria for admission to B.Ed.-SEDE was revised which is as follows:

a) The applicant should have a Bachelor's Degree from any recognized University,
b) Entrance test is mandatory
c) Weightage will be given to the candidates fulfilling any one of the following conditions after qualifying entrance test:

(a) Parent of a child with disability : 10 Marks
(b) Person with disability : 10 Marks
(c) Possession of any RCI recognized qualification : 10 Marks

(For those eligible at (a) Disability Certificate of child from the competent authority must be enclosed, & (b) Disability certificate form the competent authority must be enclosed. For those eligible at (c) copy of RCI registration certificate must be provided.)

4. Appointment of full-time faculty at University head quarter for M.Ed.-SEDE & B.Ed.-SEDE for a unit of 500 at B.Ed. level & 250 at M.Ed. level was finalized as serial no. 15 of Norms & Guidelines.

5. Appointment of full-time Coordinator at Study Centre for M.Ed.-SEDE & B.Ed.-SEDE was finalized as serial no. 16 of Norms & Guidelines.

6. There is no modification in the Part time faculty of Study Centre as serial.no.17 of Norms & Guidelines.

7 There is no modification in the eligibility Criteria for Study Centre to conduct M.Ed.-SEDE, PGPD-SEDE, and PGPC-SEDE Programme of the existing Norms & Guidelines for distance education programmes as serial no. 18.1, 18.3, 18.4.

8. Eligibility Criteria for Study Centre to conduct B.Ed.-SEDE Programme was finalized with some modification such as two full time faculty having M.Ed-Special Education at

संलग्नक- 05

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

UGC (MINIMUM STANDARDS AND PROCEDURE FOR AWARDS OF M.PHIL/PH.D. DEGREE), REGULATION, 2009

New Delhi-110002, the 1st June 2009

F. 1-1/2002 (PS) Exemp.—In exercise of the powers conferred by clause (e) & (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely :—

Short Title, Application and Commencement :

1. These regulations may be called University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree), Regulations 2009.
2. They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every Institution including a constituent or an affiliated College recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under clause (1) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, and every Institution deemed to be a University under section 3 of the said Act.
3. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette of India.
4. All Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall be eligible for conducting M.Phil. and Ph.D. Programmes.
5. Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other Rule or regulation, for the time being in force, no University, Institution, Deemed to be University and College/Institution of National Importance shall conduct M.Phil and Ph.D Programmes through distance education mode.

ELIGIBILITY CRITERIA FOR M. PHIL./PH.D. SUPERVISOR

6. All Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall lay down the criteria for the faculty to be recognized as Research Supervisor both for M.Phil and Ph.D. Programmes.
7. All Univesities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall lay down and decide on annual basis, a predetermined and manageable number of M.Phil and doctoral students depending on the number of the available eligible Faculty Supervisors. A Supervisor shall not have, at any given point of time, more than Eight Ph.D Scholars and Five M.Phil. Scholars.
8. The number of seats for M.Phil and Ph.D. shall be decided well in advance and notified in the University website or advertisement. All Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall widely advertise the number of available seats for M.Phil/Ph.D studies and conduct admission on regular basis.

PROCEDURE FOR ADMISSION

9. (i) All Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall admit M.Phil doctoral students through an Entrance Test conducted at the level of individual University, Institution, Deemed to be University, College/Institution of National Importance. The University may decide separate terms and conditions for those students who qualify UGC/CSIR (JRF) Examination/SLET/GATE/teacher fellowship holder or have passed M.Phil Programme for Ph.D. Entrance Test. Similar approach may be adopted in respect of Entrance Test for M.Phil Programme.

(ii) It shall be followed by an interview to be organized by the School/Department/Institution/University as the case may be.

(iii) At the time of inverview, doctoral candidates are expected to discuss their research interest/area.

(iv) Only the predetermined number of students may be admitted to M.Phil/Ph.D programme.

2-1496I/09

10 The admission to the Ph.D Programme would be either directly or through M.Phil Programme.

11. While granting admission to students to M.Phil/Ph.D. Programmes, the Department/Institute/School will pay due attention to the National/State Reservation Policy.

ALLOCATION OF SUPERVISOR

12. The allocation of the supervisor for a selected student shall be decided by the Department in a formal manner depending on the number of student per faculty member, the available specialization among the faculty supervisors, and the research interest of the student as indicated during interview by the student. The allotment/allocation of supervisor shall not be left to the individual student or teacher.

COURSE WORK

13. After having been admitted, each M.Phil/Ph.D student shall be required by the Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance, as the case may be, to undertake course work for a minimum period of one semester. The course work shall be treated as pre M.Phil/Ph.D preparation and must include a course on research methodology which may include quantitative methods and Computer Applications. It may also involve reviewing of published research in the relevant field. The individual Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance, as the case may be, shall decide the minumum qualifying requirement for allowing a student to proceed further with the writing of the dissertation.

If found necessary, course work may be carried out by doctoral candidates in sister Departments/ Institutes either within or outside the University for which due credit will be given to them.

EVALUATION AND ASSESSMENT METHODS

14. Upon satisfactory completion of course work and research methodology, which shall form part & parcel of M.Phil/Ph.D. Programme, the M.Phil/Ph.D Scholar shall undertake research work and produce a draft thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned.

15. Prior to submission of the thesis, the student shall make a pre-M.Phil/Ph.D presentation in the Department that may be open to all faculty members and research students, for getting feedback and comments, which may be suitably incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor.

16. Ph.D candidates shall publish one research paper in a referred Journal before the submission of the thesis/monograph for adjudication, and produce evidence for the same in the form of acceptance letter or the reprint.

17. The thesis produced by the M.Phil/Ph.D student in the Institutions/Departments and submitted to the University, Instituion, Deemed to be University, College/Institution of National Importance, as the case may be, shall be evaluated by at least two experts, out of which at least one shall be from outside the State. It shall be upto the University, Institution, Deemed to be University, College/Institution of National Importance concerned to have one examiner from outside the Country.

18. On receipt of satisfactory evaluation reports, M.Phil/Ph.D students shall undergo a viva voce examination which shall also be openly defended.

DEPOSITORY WITH UGC

19. Following the successful completion of the evaluation process and announcements of the award of M.Phil/Ph.D, the University shall submit a soft copy of the M.Phil/Ph.D thesis to the UGC within a period of thirty days, for hosting the same in INFLIBNET, accessible to all Institutions/Universities.

20. Alongwith the Degree, the Degree awarding University, Institution Deemed to be University, College/ Institution of National Importance, as the case may be, shall issue a Provisional Certificate certifying to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions to these Regulations of the UGC.

संलग्नक - 06

CONFIDENTIAL

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

MINUTES OF THE 479th MEETING OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION HELD ON 8TH JULY, 2011.

The 479th Meeting of the Commission was held on 8th July 2011 in which the following were present:-

1.	Prof. Ved Prakash	Chairman
2.	Mrs. Vibha Puri Das	Member
3.	Mrs. Vilasini Ramachandran	Member
4.	Prof. K. Ramamurthy Naidu	Member
5.	Dr. Vidya Yeravdekar	Member
6.	Prof. Achyutananda Samanta	Member
7.	Prof. Meenakshi Gopinath	Member

Prof. Xavier Alphonse, S.J. and Prof. Dr. Seyed E. Hasnain, Commission Members could not attend the meeting and they were given leave of absence.

Shri R.D. Sahay, Director, MHRD also attended the meeting.

The following officers of the UGC also attended the meeting.

Secretary
Dr. N.A. Kazmi

Additional Secretary
Dr. K. Gunasekaran

Financial Adviser
Shri A.K. Dogra

1, 5, 6 For OU.

2.04 To consider the guidelines on the norms for teacher to student ratio for various disciplines/programmes and teaching to non-teaching ratio in Central Universities and UGC maintained Deemed to be Universities.

The Commission reconsidered the guidelines on the norms for teacher to student ratio for various disciplines/programmes and teaching to non-teaching ratio in Central Universities and UGC maintained Deemed to be Universities in the light of the suggestions given by Dr. Meenakashi Gopinath, Commission Member and reiterated its earlier decision on the same subject under item 2.01 in the meeting of the Commission held on 4th May, 2011.

Action: JS (CU)

2.05 To consider the issues arising out of the minutes of the Standing Committee on "UGC (Minimum Standards for award of M.Phil/Ph.D) Regulations-2009.

The Commission considered the issue arising out of the minutes of the Standing Committee on "UGC (Minimum Standards for award of M.Phil./Ph.D.) Regulations, 2009 and decided as follows:

1. ***An Open University may be permitted to conduct M.Phil./Ph.D. programmes through distance education mode subject to the condition that it does so strictly as per the provisions of the UGC Regulations, 2009***
2. ***The 11 point criteria laid down by the Standing Committee on M.Phil./Ph.D. Regulations, 2009 may be uploaded on UGC website and also circulated to all institutions of higher education for information and further action.***
3. ***For undertaking Ph.D. under distance education mode, the principal guide should be from within the Open University and a joint guide, wherever necessary, may be from outside the University. However, a teacher should not have more than two candidates under his supervision as a joint guide.***
4. ***The Regulations, 2009 are silent with regard to academic, administrative and infrastructural requirements to be fulfilled by a University for offering M.Phil. / Ph.D. programmes and there is a need for these to be spelt out clearly in the Regulations.***

5. *Amendments required in the UGC Regulations, 2009 may be made accordingly and steps necessary for their notification may be taken.*

Action: JS(PS)/FA,UGC

2.06 To consider the report of the Anomaly Committee constituted by the Chairman, UGC to recommend revision/ amendment/ clarification guidelines, if any, based on the representations/ anomalies received from various sections of Universities/Colleges, officials of higher education system, professional associations of Central/State Universities and others to facilitate smooth implementation of the "UGC Regulation on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education 2010".

A power-point presentation was made before the Commission by Prof. S.P.Thyagrajan and Prof. Ravi Srivastava, Members of the Anomaly Committee constituted by the Chairman, UGC to review the post notification implementation issues arising out of the UGC Regulations, 2010. The Commission made several suggestions on the recommendations of the Anomaly Committee and requested that these may be incorporated and authorized the Chairman, UGC to finalize the amendments in the Regulations and send it to the M/HRD for its approval.

Action: JS (Pay Scale)

2.07 To consider the letter received from Ministry of HRD forwarding therewith the advice given by the Department of Legal Affairs on the proposed UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2010.

The Commission considered the letter received from Ministry of HRD forwarding therewith the advice given by the Department of Legal Affairs on the proposed UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private

संलग्नक - 07

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Allahabad

Proposed Revised Guidelines For Full Time Doctor of Philosophy (Ph.D.) Research Programme

(Under Statute 9.01(5) and Chapter XV of the First Ordinances 2002)

1. The candidates desiring to pursue a research work for Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree as a full time research scholar shall apply on the prescribed application form. At present the university is not running part time research programme.

2. The full time Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree programme shall be available only in those subjects in which eligible guides are available in the university and will be limited up to the vacant seats under them. The predetermined number of seats available in each subject will be declared by the university from time to time and will also be notified on the university website for wider circulation. The reservation policy of the State Government will be followed in the Ph D Programme.

3 A candidate who has qualified for the award of Master's Degree of any University or any other qualification recognized as equivalent thereto in the concerned field will be eligible to register for the Doctor of Philosophy (Ph.D.) programme provided he/she has secured at least 55% marks 50% in case of SC/ST candidates) or a grade equivalent thereto, at examinations leading to such a degree/ Qualification.

4 The eligible applicants have to appear in a written test conducted by the University. However, applicants qualified for JRF / NET of the UGC or of equivalent examination or possessing M. Phil. Degree in the concerned subject are exempted to appear in the written test.

5 There will be Departmental Research Committee (DRC) in each subject in which research programme is being conducted. The senior most teacher of the concerned subject will be the chairman of the DRC while one other teacher of the subject chosen by rotation for two years and one subject expert nominated by the Vice-Chancellor for two years will be the other members of the Departmental Research Committee. However if teachers in sufficient number are not available in the university, other teacher-members from outside may be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of at least six experts given by the

Director of the concerned School. However the Vice-Chancellor may add one or more names in the panel if he thinks necessary.

6 After declaration of the test result, the Departmental Research Committee will scrutinize the applications of the qualified candidates as well as of those candidates who are exempted from appearing in the test and will conduct interview in which the candidates will be assessed for their aptitude. After discussion the concerned DRC will allot the Guide (and Co-Guide if felt necessary) as per available seats in the various subjects.

7 After the allotment of research Guide, the applicant will prepare a synopsis of his/her proposed research work in consultation with the Guide and /or Co-Guide. He/she has to submit three typed/printed copies of the synopsis duly forwarded by the Guide (and the Co-Guide if any) along with his application highlighting the topic under consideration, nature of the problem and proposed methodology as well as likely outcomes within six months of his/her selection. Each Page of the Synopsis must be signed by the candidate and the Guide and the Co-Guide.

8 The Guide shall be appointed from amongst the regular teachers or other academic staff (i.e. Vice-Chancellor, librarian, deputy librarian or assistant librarian) of U P Rajarshi Tandon Open University, Allahabad; provided they are eligible to be appointed as a Guide. However, if necessary, a joint guide may be from the outside the university but a person will not have more than two candidates under his supervision as a joint guide.

9 An academic (Including teachers and other academic staff) with a Ph.D. degree and with at least five year post doctoral research and / or post graduate teaching experience shall be eligible to be recognized as a research Guide.

10 The concerned DRC will also consider the synopsis and will submit its recommendation to the RDC. However on the approval of the concerned RDC, the candidate may be allowed Provisional Registration by depositing the required fees and to begin his/her research work. A candidate who has been offered provisional registration shall deposit the prescribed registration fee and programme fee within a period of three months for the date of offer. After its expiry the offer will be treated as cancelled and seat may be offered to any other applicant.

11 The concerned DRC shall prescribe course work of at least of 16 credits related to the thrust areas of research and/ or research methodologies which has to be completed with in one year from the date of registration. However RDC on the recommendation of the concerned DRC may exempt from the requirement of the course work if it is deemed unnecessary in case of M. Phil. Degree holders. In special circumstances course work may be permitted in sister institutions out side the university. The DRC may choose course work from the papers of the M Phil. Programme , if any, in the concerned subject.

12 A full time research scholar shall be deemed to have completed a course work successfully if he / she obtain 50% of the maximum score in the course work.

13 The fee schedule for Doctor of Philosophy (Ph.D.) Full Time Programme is given below:

(i) Entrance Test fee	Rs. 1000.00 With the Application Form
(ii) Registration fee	Rs. 1000.00 Once, With First Year's Programme fee
(iii) Programme fee	Rs. 10000.00 Per Annum (Either from January to December or from July to June)
(iv) Pre-submission Viva fee	Rs. 5000.00 At the time of request for Pre-Submission Viva
(v) Evaluation Viva fee	Rs. 10000.00 At the time of Submission of Thesis

14 The date of meeting of the concerned DRC or the date of deposition of registration fee, whichever is later will be the date of registration of the candidate provided it is approved by the RDC

15 All provisional registration to Ph.D. programme shall be considered by the Research Degree Committee within Six Months of the provisional registration. The Research Degree Committee may either reject the topic thereby disallowing registration or may modify the topic and/ or synopsis or may confirm the same.

16 The Candidates may be required to be present before the RDC for an interview to defend their research proposal at the time of meeting of the RDC but no T.A. or D.A. will be paid to them for this purpose.

17 If application of a candidate is rejected by the Concerned DRC and ratified by the RDC, the Candidate will have to apply and sit in the entrance test afresh along with required fee.

18 On the recommendation of the Guide, the candidate may be permitted by the Research Degree Committee to modify or limit his/her research topic within One Year from the date of registration.

19 All full Time research scholars have to put at least 200 days attendance with his / her Guide before submitting his/her thesis. For this attendance register will be maintained in the concerned school of studies.

20 All the Full time research scholars will be required to submit their fees regularly otherwise their names will be struck off from the rolls.

21 All Full-time research scholars may be required to assist in Counseling and other academic/or administration work as required by the University authorities.

22 The number of Ph.D. Scholars under a guide at any given point of time shall not be more than eight for Directors/Professors, six for Associate Professors/Readers and four for Assistant Professors/Lecturers respectively.

23 The candidate shall have to submit a detailed progress report of his/her work every six months to the satisfaction of the Research Degree committee through his/her Guide, failing it for the two consecutive six months, the registration will be considered as cancelled. But after receiving a satisfactory apology with in six months from the due date of submission of second consecutive progress report, the candidate may be asked to present his / her progress before the DRC and on the recommendation of the DRC the candidate may be permitted by the Vice-Chancellor to submit the progress reports.

24 For Doctor of philosophy (Ph.D.) programme, the minimum and the maximum period allowed for submitting the thesis will be two and five years respectively. However, the candidate may apply for re-registration after the expiry of five years provided that the Guide certifies that the scholar will submit the thesis within two years positively. No further extension will be permitted thereafter. At the time of re-registration the candidate has to deposit registration fee again.

25 Before submitting his / her thesis, the candidate shall have to give a pre-submission Multi-media presentation of his/her research work along with a print out of the draft of the thesis before a panel of experts consisting of the Director of the concerned Board of School, the Senior most teacher of the subject, one subject expert to be nominated by the Vice-Chancellor, and the Guide of the Candidate.

26 The pre-submission presentation will be allowed only if the all the six monthly progress reports (at least Three) are received and found satisfactory and publication of two articles in the referred / ISSN journals before submission of the thesis. The evidence for the same in form of reprint or in the form of acceptance letter has to be presented by the candidate with the application for arranging the pre-submission viva-voce.

27 Before pre-submission presentation the candidate has to submit a certificate issued by any one of the university approved agencies regarding plagiarism.

28 The pre-submission presentation shall be open for all and suggestions, comments and feedback can also be invited from the audience after the presentation. The suggestions, which shall be relevant and necessary as felt by the panel of experts, shall be recorded and will be communicated to the candidate for incorporation in the final draft of the thesis before its submission.

29 After incorporating the suggestions given by the panel of experts in the pre-submission presentation, the candidate shall submit four typed or

printed copies of his/ her thesis along with four copies each of the summary in about 3000 words and the brief abstract in about 500 words. The candidate has also to submit soft copies each of the pre-submission presentation thesis, summary the abstract on CD / DVD's in two sets.

30 The thesis must be a piece of research work characterized either by the discovery of facts, or by a fresh approach towards interpretation of facts or theories; in either case it should evince the candidate's capacity for critical examination and judgment. The literary presentation of the thesis, summary and abstract must be satisfactory and suitable for publication.

31 Except in languages, the medium of thesis for the doctor of philosophy degree will be either Hindi or English.

32 After the pre-submission presentation, the Guide and the chairman of the DRC of the concerned Subject shall recommend separately six names of the senior teachers who are at least Reader / Associate Professor in a college/ university to form a panel of examiners. Out of these six names at least two must be from abroad or out of state. The Vice-Chancellor may add one or more names in the panel if he thinks necessary. The Vice-Chancellor may appoint three examiners from the panel for evaluation of the thesis. Out of these three examiners at least one of the Thesis examiners must be from abroad or states other than U.P.

33 The thesis examiners shall submit their reports on the prescribed proforma. In case any one or more of the examiners declines to read the thesis other examiners from the panel shall be appointed by the Vice-Chancellor.

34 One of the external thesis examiners appointed by the Vice-Chancellor and the Guide shall conduct the viva-voce of the candidate. The report of the viva-voce examination shall also be given on the prescribed proforma. In the Viva-voce examination, the candidate will present a brief of his /her research work in the form of multi-media presentation.

35 If the nominated viva-voce examiner declines to conduct the viva-voce examination then any one other examiner who had read the thesis shall be appointed by the Vice-Chancellor to conduct the viva-voce examination.

36 If the Guide declines or is unable to conduct the viva-voce examination because of any reason then any one other examiner who had read the thesis or any other teacher of the subject shall be appointed by the Vice-Chancellor to conduct the viva-voce examination.

37 The reports of the examiners of the thesis shall be placed before the Vice-chancellor. If the reports of all the three examiners are in favour of award of Ph.D. degree, the Vice-Chancellor shall recommend the viva-voce examination of the candidate. If the reports of only two examiners

are in favour of award of Ph.D. degree, the Vice-Chancellor shall appoint fourth examiner from the panel and if his/her report comes in favour then the Vice-Chancellor shall recommend the viva-voce examination of the candidate. In other cases, the matter will be referred to the Research Degree Committee which may take appropriate decision of revision or rejection of the thesis.

38 The report of the viva-voce along with reports of the thesis examiners shall be placed before the Vice-Chancellor. If the report of the viva-voce examination is in the favour of award of Ph.D. degree, the Vice-Chancellor shall recommend award the Ph.D. degree in the concerned subject to the candidate and direct to issue the provisional certificate to the candidate.

39 If the report of the viva-voce is not in favour of award of Ph.D. degree, the matter will be referred to the Research Degree Committee which may instruct the candidate to revise the thesis or / and to reappear in the viva-voce. But no candidate shall be allowed to resubmit the thesis or / and to re-appear at the viva-voce more than once.

40 On the recommendation of the Vice-Chancellor, Academic Council may accord approval for award of the Ph.D. degree in the concerned subject to the candidate.

41 The candidate shall on the publication of the thesis state on the title page as well as at other appropriate places that it was a thesis approved for the Ph.D. degree of the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad.

42 In case of any ambiguity and/or dispute regarding interpretation of any provision, of these guidelines the decision of the Vice-Chancellor shall be final. Further if any thing or information or provision is not covered in these guidelines, it will be decided by the Vice-Chancellor.

43 Following the successful completion of the evaluation process and announcement of the award of Ph.D. degree, the University shall submit a soft copy of the Ph.D. thesis to the UGC within a period of thirty days for hosting the same in INFLIBNET, accessible to all Institutions/ Universities.

44 Along with the Ph D. Degree, the University shall issue a provisional Certificate certifying to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions to the Regulations of the UGC.

संलग्नक - 08

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University
Allahabad

Guidelines for Master of Philosophy (M.Phil.) Research Programme

(Under Statute 9.01(5) and Chapter XV of the First Ordinances 2002)

1. The candidates desiring to pursue a programme for Master of Philosophy (M.Phil.) Degree shall apply on the prescribed application form. At present the university is not running part time research programme.

2. The Master of Philosophy (M.Phil.) Degree programme shall be available only in those subjects in which eligible Supervisors are available in the university and will be limited up to the seats counted at the ratio of five students per teacher in the subject concerned. The predetermined number of seats available in each subject will be declared by the university in the beginning of the session and will also be notified on the university website for wider circulation.

3 A candidate who has qualified for the award of Master's Degree of any University or any other qualification recognized as equivalent thereto in the concerned field will be eligible to register for the Master of Philosophy (M.Phil.) programme provided he/she has secured at least 55% marks (50% marks in case of SC/ST candidates) or a grade equivalent thereto, at examinations leading to such a degree/ Qualification.

4 The eligible applicants have to appear in a written test conducted by the University and the admissions will be made as per merit obtained by the candidates in the test. The reservation rules of Uttar Pradesh Govt. will be followed in the admission to M.Phil. Programme.

5 After declaration of the test result, the Departmental Research Committee (DRC) will scrutinize the applications of the qualified candidates and will conduct interview in which the candidates will be assessed for their aptitude. After discussion the concerned DRC will allot the Supervisor as per available seats in the various subjects. A research Supervisor shall not have, at any given point of time, more than five M. Phil. Scholars

6 The Supervisor shall be appointed from amongst the regular teachers or other academic staff (i.e. Vice-Chancellor, librarian, deputy librarian or assistant librarian) of U P Rajarshi Tandon Open University, Allahabad; provided they are eligible to be appointed as a Supervisor. An academic (Including teachers and other academic staff) with a Ph.D. degree and with at least five year post doctoral research and / or post graduate teaching experience shall be eligible to be recognized as a research Supervisor.

7 The fee schedule for Master of Philosophy (M. Phil) Programme is given below:

(i) Entrance Test fee	Rs. 1000.00 With the Application Form
(ii) Programme fee	Rs. 10000.00 Per Annum (Either from January to December or from July to June)
(iii) Theory Examination fee	Rs. 1000.00 (in First Semester)
(iii) Pre-submission Presentation	Rs. 2000.00 At the time of request for Pre-Submission Viva
(iv) Viva fee	Rs. 3000.00 At the time of Submission of Thesis

8 The Master of Philosophy (M.Phil) programme will have a two-tier structure. The first tier will consist of course work in the form of theory papers while the second tier will consist of Project Work including viva voce on it. The course work shall be of 32 credits, Project Work shall be of 16 credits and viva voce shall be of 8 credits. Each theory paper will be of 100 marks, the Project Work will be of 200 marks and the viva voce will be of 100 marks. As the entire M.Phil. Programme shall comprise 56 credits of 700 marks in total.

9 The semester wise structure and the weightage to various papers of the M.Phil. Programme shall be as below:

Semester	Papers	Credits	Marks	Internal Assessment	Terminal Assessment
First Semester	Theory Paper 1	8	100	30%	70%
	Theory Paper 2	8	100	30%	70%
Second Semester	Theory Paper 3	8	100	30%	70%
	Theory Paper 4	8	100	30%	70%
Third and Fourth Semesters	Project Work	16	200	30%	70%
	Viva-Voce	8	100	-	100%
Total		56	700		

Note 1 : At least one paper will be on Research Methodology which may include quantitative methods and Computer Applications.

2: The course work may involve reviewing of the published research in the relevant field.

10 The calendar of events of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme shall be prepared by the concerned School of Studies of the university each year

11 The semester system shall be followed for the instruction and examination in the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme.

12 The information and communication technology will be extensively used as a mode of delivery system in the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme. The concerned school of studies of the university will develop appropriate mechanism for curriculum transaction. Necessary facilities i.e. faculty, physical infrastructure, library etc. will be made available.

13 The Concerned DRC shall prescribe the titles and content for the course work. The first two papers will be related to the thrust areas of research while last two papers will be of research methodologies. The project work will be based on the actual Field Work/Laboratory Experiments / Critical Analysis etc.

14 In each theory paper of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme 30 percent of the total marks shall be assigned for sessional assessment i.e. assignments, mid term tests etc. Hence in theory papers examination, the term-end examination shall have a weightage of 70 percent of the total marks in each paper.

15 In project work of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme 30 percent of the total marks shall be assigned by the project supervisor as sessional assessment while rest 70 percent of the marks will be assigned by the project examiner.

16 The sessional and term-end examination marks have to be mentioned separately on the marks sheet.

17 No candidate shall be allowed to appear in the terminal examination of a theory paper unless he/she puts in 75% attendance in the counseling programme and submits all the assignments in the concerned paper.

18 Every candidate for the Master of Philosophy (M.Phil.) degree shall have to pass in each theory as well as in the sessional assessment separately. The minimum pass marks shall be 50 percent. A candidate who obtains less than 50 percent in any one or more paper's or in internal assessment of any or more paper(s) will be declared to have failed in the examination of that/those paper(s).

19 Every candidate for the Master of Philosophy (M.Phil.) degree course shall be required to submit a Project Work in three copies on an approved topic done under the guidance of designated supervisor.

20 The topics for the Project Work will be allotted by the concerned DRC on the application of the candidate duly forwarded by the supervisor and the programme coordinator.

21 The Project Work must be an original work or fresh interpretation carried out by the candidate and it must include a certificate in this regard duly signed by the candidate and the supervisor. In either case it should evince the candidate's capacity for critical examination and judgment. The literary presentation of the Project Work, summary and abstract must be satisfactory and suitable for publication.

22 Before submitting his / her Project Work, the candidate shall have to give a pre-submission Multi-media presentation of his/her research work along

with a print out of the draft of the Project Work before a panel of experts consisting of the Senior most teacher of the subject, one subject expert to be nominated by the Vice-Chancellor, and the Supervisor of the Candidate.

23 The pre-submission presentation will be allowed only after the recommendation of the supervisor and publication of one article in the referred / ISSN journals before submission of the thesis. The evidence for the same in form of reprint or in the form of acceptance letter has to be presented by the candidate with the application for arranging the pre-submission presentation.

24 The pre-submission presentation shall be open for all and suggestions, comments and feedback can also be invited from the audience after the presentation. The suggestions, which shall be relevant and necessary as felt by the panel of experts, shall be recorded and will be communicated to the candidate for incorporation in the final draft of the Project Work before its submission.

25 After incorporating the suggestions given by the panel of experts in the pre-submission presentation, the candidate shall submit three typed copies of his/ her Project Work along with three copies each of the summary in about 2000 words and the brief abstract in about 400 words. The candidate has also to submit soft copies each of the pre-submission presentation Project Work, summary the abstract on CD / DVD's in two sets.

26 Except in languages, the medium of Project Work for the Doctor of Philosophy degree will be either Hindi or English.

27 The Project Work of every candidate for the Master of Philosophy (M.Phil.) degree course shall be evaluated by two external examiners separately out of 100 marks each and their total will be the marks for the Project Work. A candidate who obtains less than 50 percent marks in the Project Work will be declared to have failed in the Project Work.

28 The Supervisor and the chairman of the DRC of the concerned Subject shall recommend separately four names of the senior teachers who are at least Reader / Associate Professor in a college/ university to form a panel of examiners. Out of these four names at least two must be from abroad or out of state. The Vice-Chancellor may add one or more names in the panel if he thinks necessary. The Vice-Chancellor may appoint two examiners from the panel for evaluation of the Project Report. Out of these two examiners at least one of the Project Report examiners must be from abroad or states other than U.P.

29 If a candidate for the Master of Philosophy (M.Phil.) degree course gets passing marks in the Project Work, then he / she shall be asked to appear in a Comprehensive viva-voce examination before a board of examiners consisting of one of the external examiner appointed by the Vice-Chancellor, the senior most teacher of the concerned subject and the supervisor. The board of examiners will assign the viva voce marks jointly.

A candidate who obtains less than 50 percent marks in the viva voce will be declared to have failed in the viva voce.

30 If the nominated viva-voce examiner declines to conduct the viva-voce examination then the other examiner who had read the thesis will conduct the viva-voce examination.

31 If both the project examiners declines or are unable to conduct the viva-voce examination because of any reason then any one other teacher of the subject shall be appointed by the Vice-Chancellor to conduct the viva-voce examination in lieu of the project examiner.

32 If the Supervisor declines or is unable to conduct the viva-voce examination because of any reason then any one other examiner who had read the thesis or any other teacher of the subject shall be appointed by the Vice-Chancellor to conduct the viva-voce examination.

33 The Division shall be assigned to the successful candidates of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme at the end of the fourth semester on the basis of their aggregate marks in all papers including project work and viva-voce examination.

First Division	60% or above
Second Division	50% or above, but less than 60%
Unsuccessful	below 50%

34 If a student of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme failed or failed to appear in any one or more papers of the term-end examinations or in Project Work or in viva-voce, he/she may appear in the subsequent term-end examination of the concerned semester for that paper / those papers/ Project Work/ viva voce. This facility shall be available until the student passes that paper/ those papers, but only up to a period of four years from the date of admission.

35 If the Project Work is published the candidate shall state on the title page as well as at other appropriate places that it was a Project Work approved for the M. Phil. degree of the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad.

36 In case of any ambiguity and/or dispute regarding interpretation of any provision, of these guidelines the decision of the Vice-Chancellor shall be final. Further if any thing or information or provision is not covered in these guidelines, it will be decided by the Vice-Chancellor.

37 Following the successful completion of the evaluation process and announcement of the award of M Phil. degree, the University shall submit a soft copy of the Project Work to the UGC within a period of thirty days for hosting the same in INFLIBNET, accessible to all Institutions/ Universities.

38 Along with the M. Phil. Degree, the University shall issue a provisional Certificate certifying to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions to the Regulations of the UGC.

संलग्नक – 09

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 03 एवं 04 मई 2012 को विश्वविद्यालय के मीटिंग हाल में प्रवेश, परामर्श, परीक्षा, अधिन्यास, परियोजना कार्य, पाठ्यसामग्री आदि पर विचार विमर्श करने एवं तद्नुसार शैक्षिक कैलेण्डर निर्धारित करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये।

1. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा	—	संयोजक
2. डॉ बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा	—	सदस्य
3. डॉ एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा	—	सदस्य
4. डॉ ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा	—	सदस्य
5. डॉ प्रेम प्रकाश दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा	—	सदस्य
6. डॉ टी.एन. दूबे, पुस्तकालयाध्यक्ष	—	सदस्य
7. डॉ आर.पी.एस. यादव, परीक्षा नियंत्रक	—	सदस्य
8. डॉ संतोषा कुमार, प्रभारी, पाठ्यसामग्री	—	सदस्य
9. डॉ देवेश रंजन त्रिपाठी, प्रभारी, अधिन्यास प्रकोष्ठ	—	सदस्य
10. डॉ मुकेश कुमार, विशेष कार्याधिकारी, परीक्षा	—	सदस्य
11. डॉ एच.सी. जायसवाल, समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद	—	सदस्य
12. डॉ गिरीश कुमार द्विवेदी, प्रभारी, प्रवेश अनुभाग	—	सचिव

बैठक का कार्यवृत्त

A प्रवेश से सम्बन्धित

(1) (अ) सत्र 2012–13 से प्रवेश सूचना विवरणिका के नाम को संशोधित किया जाय। हिन्दी और अंग्रेजी में इसका नाम निम्नानुसार रखने की संस्तुति की गई।

"हिन्दी में प्रथम पंक्ति में "वर्ष पर्यन्त प्रवेश" एवं द्वितीय पंक्ति में "सूचना विवरणिका" और अंग्रेजी में First Line में "Round The Year Admission" और Second Line में "Information Brochure" रखा जाए।

(ब) विवरणिका में यह भी मुद्रित कराया जाये कि यह विवरणिका प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु है एवं विद्यार्थी कार्यक्रम पर्यन्त इसे अपने पास सुरक्षित रखे तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न नियमों, प्रावधानों व अनुदेशों हेतु इसका अवलोकन करते रहे।

(2) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष में दो सत्रों में प्रवेश लिया जाता है। सत्र का नाम पूर्व की भाँति निम्नवत होगा :–

(अ) जुलाई सत्र

(ब) जनवरी सत्र

प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया पूरे वर्ष निरन्तर संचालित रहेगी। परन्तु इसके अन्तर्गत दो सत्रों में प्रवेश लिया जाएगा, जिसे पूर्व की भांति जुलाई एवं जनवरी सत्र के नाम से जाना जायेगा। सत्रवार प्रवेश का विवरण निम्नवत् है:–

जुलाई सत्र – 16 फरवरी से 15 सितम्बर तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने वाले शिक्षार्थी।

जनवरी सत्र – 16 सितम्बर से 15 फरवरी सितम्बर तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने वाले शिक्षार्थी।

शिक्षार्थियों के प्रवेश आवेदन फार्म जमा करने की तिथि के आधार पर ही सम्बन्धित सत्र हेतु प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः कर दिया जायेगा और शिक्षार्थी को उस सत्र के सापेक्ष निर्धारित माह में ही परीक्षा देनी होगी।

(4) जुलाई सत्र के प्रथम वर्ष के प्रवेशित शिक्षार्थी अपने द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिये अगले सत्र के जुलाई सत्र में ही प्रवेश के लिए आवेदन करेगें। इसी प्रकार जनवरी सत्र के प्रथम वर्ष के प्रवेशित शिक्षार्थी अपने द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिये अगले सत्र के जनवरी सत्र में ही प्रवेश के लिए आवेदन करेगे। जुलाई सत्र के शिक्षार्थी को जनवरी सत्र में एवं जनवरी सत्र के शिक्षार्थी को जुलाई सत्र में प्रवेश किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है।

(5) *सत्र 2012–13 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को सूचना विवरणिका क्रय करना अनिवार्य होगा।* प्रवेश सूचना विवरणिका में प्रवेश, परीक्षा, परामर्श, परियोजना कार्य, क्रेडिट, प्रयोगात्मक कार्य, कार्यक्रम संरचना, कार्यक्रम शुल्क, अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र परिवर्तन, तथा विषय एवं कार्यक्रम परिवर्तन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं मुद्रित कराई जाय। प्रथम वर्ष के प्रवेशित शिक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाय कि जब तक उनका कार्यक्रम पूर्ण न हो इसको संरक्षित रखें एवं नियमों तथा आवश्यक अनुदेश हेतु समय–समय पर इसका अवलोकन करते रहें। विवरणिका का मूल्य रू0 100 हो एवं **handling charges** इसमें से रू0 20/– प्रति विवरणिका की दर से अध्ययन केन्द्र काटकर शेष धनराशि का ड्राफ्ट प्रत्येक माह की अन्त में प्रवेश अनुभाग को भेज दें।

(6) प्रवेश आवेदन फार्म की छायाप्रति एवं बेबसाइट से डाउनलोड प्रवेश फार्म किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा। विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर प्रवेश सूचना विवरणिका सूचना प्राप्त करने के उददेश्य से **upload** किया जाय।

(7) A- अध्ययन केन्द्रों से क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराये गये अपूर्ण आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क से कम शुल्क का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्र समन्वयक का होगा।

B- शिक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय को एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को सीधे प्रेषित प्रवेश आवेदन फार्म निरस्त कर दिये जायेंगे, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

(8) छात्र को पूर्ण रुप से भरे हुए मूल आवेदन प्रवेश फार्म सभी योग्यता प्रदायी अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों एवं कार्यक्रम शुल्क के ड्राफ्ट के साथ चयनित अध्ययन केन्द्र पर जमा करना

अनिवार्य होगा। शिक्षार्थी को अध्ययन केन्द्र के द्वारा प्रवेश फार्म प्राप्त करने की रसीद विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रवेश रसीद बुक पर कंट्रोल नम्बर सहित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(9) *सत्र 2012–13 से सिर्फ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही शुल्क जमा किया जायेगा।* चालान के माध्यम से जमा शुल्क किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। सत्र 2012–13 के प्रवेश सूचना विवरणिका में किसी भी बैंक के चालान फार्म संलग्न न किए जाय। यदि बेबसाइट पर चालान फार्म हो तो उसे हटा दिया जाए।

(10) रिजर्व बैंक के नये दिशा निर्देश के अनुसार ड्राफ्ट की वैधता अवधि 3 माह निर्धारित की गई है। अतः केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थियों से प्रवेश आवेदन फार्म स्वीकार्य करने से पूर्व निश्चित रुप से आश्वस्त हो लें कि *शिक्षार्थी द्वारा संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट 15 दिन से पुराना न हो।* इस सूचना को सूचना विवरणिका में शिक्षार्थी एवं समन्वयकों के लिए अच्छी तरह से Highlight किया जाय।

(11) प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व समन्वयकों की कार्यशाला क्षेत्रीय केन्द्रवार अलग–अलग अनिवार्य रुप से आयोजित कराई जाय एवं विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2012–13 हेतु लिए गये निर्णयों व ड्राफ्ट की वैधता अवधि के सम्बन्ध में सूचनाएं सम्प्रेषित की जायें। यदि उसके उपरान्त भी अध्ययन केन्द्रों द्वारा ड्राफ्ट जमा करने की अवधि का ध्यान एवं अन्य क्रियाकलाप हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों का पालन करना सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो ऐसे अध्ययन केन्द्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। *समन्वयकों की कार्यशाला पर होने वाला व्यय डेक मद के स्टाफ ट्रेनिंग मद से किया जाए। इसमें समन्वयकों को किट बैग, हास्पीटेलीटिज (आतिथ्य), दो बार चाय–नाश्ता, लन्च [redacted] एवं टी०ए०/डी०ए० आदि की व्यवस्था भी की जाए।*

(12) प्रवेश एवं बैंक परीक्षा इत्यादि से प्राप्त धनराशि के शुल्क को जमा करने के लिए अलग से बैंक खाता खोले जाने पर वित्त अनुभाग विचार करे अथवा प्रवेश एवं बैंक परीक्षा इत्यादि से प्राप्त धनराशि के शुल्क को जमा करने के लिए वर्ष के निर्धारण हेतु कोई Earmark सुनिश्चित कर ले।

(13) प्रत्येक माह के अन्त तक अध्ययन केन्द्रों पर जमा प्रवेश आवेदन फार्म अगले माह की 7 तारीख तक अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा जाँच के बाद सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार उपलब्ध हो जाने चाहिये। यदि अध्ययन केन्द्र अपनी सुविधानुसार अपने स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों को हस्तगत कराना चाहता है तो वह भी स्वीकार्य होगा परन्तु इसके लिए किसी भी प्रकार का TA, DA एवं स्थानीय भत्ता आदि देय नहीं होगा।

- शिक्षार्थियों के पूर्ण रुप से भरे हुए मूल प्रवेश आवदेन फार्म।
- निर्धारित शुल्क का ड्राफ्ट।

(14) क्षेत्रीय समन्वयक अपने कार्यालय पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त प्रवेश आवेदन फार्मो की कम्प्यूटर प्रविष्टि विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गये सापटवेयर पर निम्नांकित विवरण के अनुसार सम्पन्न करायेंगे:–

1. ~~[illegible]~~ प्रवेश प्रभारी द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की कम्प्यूटर प्रविष्टि।(फोटो व पता सहित)

2. ड्राफ्ट की कम्प्यूटर प्रविष्टि जिसमें शिक्षार्थी का नाम, कार्यक्रम का नाम, अध्ययन केन्द्र कोड, Lot No., Cont No., बैंक का नाम, तिथि, धनराशि एवं ड्राफ्ट संख्या सहित ।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं की सूचना को सी0डी0 में संरक्षित करते हुए एक सी0डी0 प्रवेश अनुभाग को तथा मूल ड्राफ्ट एवं ड्राफ्ट प्रविष्टि के विवरण की दूसरी सी0डी0 वित्त अनुभाग को बैंक खाते में ड्राफ्ट को जमा करने हेतु प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य प्रेषित करेगे। अन्तिम तिथि 15 सितम्बर और 15 फरवरी तक जमा प्रवेश आवेदन फार्म, 22 सितम्बर एवं 22 फरवरी तक क्षेत्रीय कार्यालय पर केन्द्र समन्वयक द्वारा अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दिए जायेंगे। क्षेत्रीय समन्वयक इन फार्मो की भी कम्प्यूटर प्रविष्टि कराकर नामांकन जनरेशन के लिए एक सी0डी0 प्रवेश अनुभाग को और एक सी0डी0 लेखा अनुभाग को ड्राफ्ट जमा करने हेतु भेजवाना सुनिश्चित करेगें। यह प्रक्रिया अनवरत इसी प्रकार प्रत्येक माह में चलती रहेगी।

(15) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सी0डी0 में उपलब्ध कराये गये शिक्षार्थियों के डाटा के सापेक्ष, प्रवेश अनुभाग द्वारा नामांकन संख्या जनरेट किया जायेगा और नामांकन संख्या की सूची प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि (30/31) तक स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराना होगा। यदि अध्ययन केन्द्र अपनी सुविधानुसार अपने स्तर से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर से नामांकन संख्या की सूची को हस्तगत रुप से प्राप्त कराना चाहता है तो इसे नामांकन संख्या हस्तगत करा दिया जाये, परन्तु इसके लिए किसी भी प्रकार TA, DA एवं स्थानीय भत्ता आदि देय नहीं होगा। यह प्रक्रिया इसी प्रकार प्रत्येक माह में अनवरत चलती रहेगी।

(16) शिक्षार्थी अपनी अर्हता सम्बन्धी जांच प्रवेश ओवदन फार्म जमा करने के पूर्व स्वयं करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा जमा प्रवेश आवेदन फार्म में यह पाया गया कि शिक्षार्थी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं है तो किसी भी समय ऐसी दशा में उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षार्थी की स्वयं होगी और उनके द्वारा जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(17) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम के प्रवेशार्थी/शिक्षार्थी अन्य विश्वविद्यालय में भी छात्र रह सकते है, परन्तु उसी प्रकृति अर्थात उसी स्तर के उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र के कार्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकते है।

(अ) अन्य विश्वविद्यालय/संस्था में नामांकित शिक्षार्थी को निम्नानुसार प्रवेश लेने की सुविधा उपलब्ध होगी :–

अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के अनुमन्य कार्यक्रम
स्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र
परास्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र

पी0 जी0 डिप्लोमा	एक प्रमाण पत्र
डिप्लोमा	एक डिग्री या एक प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र	एक डिग्री या एक डिप्लोमा

नोट– अन्य विश्वविद्यालय में नामांकित शिक्षार्थी को अध्ययनरत रहने की सम्पूर्ण सूचना विश्वविद्यालय को देना अनिवार्य होगा।

(ब) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में शिक्षार्थी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ पी0जी0 डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकता। ऐसा करने पर उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। शिक्षार्थियों को शैक्षिक सत्र में संचालित कार्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु निम्नानुसाार सुविधाएं ही अनुमन्य है:–

स्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण–पत्र
परास्नातक	एक डिप्लोमा या एक प्रमाण–पत्र
पी0जी0डिप्लोमा	एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम

(18) अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु निम्न प्रावधान किए जाएं–

- अध्ययन केन्द्र परिवर्तन शुल्क रू0 500/– के स्थान पर रू0 750/– कर दिया जाये।
- जुलाई सत्र के शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन केन्द्र परिवर्तन 30 अक्टूबर एवं जनवरी सत्र के शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन केन्द्र परिवर्तन 30 मार्च तक ही अनुमन्य होगे।
- अध्ययन केन्द्र परिवर्तन–स्थानान्तरण, चिकित्सीय कारण एवं छात्राओं के विवाह होने या किसी अन्य तर्क संगत स्थिति में ही स्वीकार्य होगा।
- अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक आबंटित अध्ययन केन्द्र के माध्यम से केन्द्र समन्वयक द्वारा सामान्यतः अग्रसारित होने की दशा में ही स्वीकार्य होगा। समन्वयक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि पूर्व में आबंटित केन्द्र से पाठ्य–सामग्री दी गई है अथवा नहीं। पाठ्य–सामग्री के विषय में उल्लेख न होने की दशा में शिक्षार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- नये स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- विशेष परिस्थिति में अध्ययन केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी बिना अग्रसारित आवेदन पत्र पर आदेश दे सकते है।

(19) कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगे।

- जुलाई सत्र के शिक्षार्थियों के लिए 30 अक्टूबर एवं जनवरी सत्र के शिक्षार्थियों के लिए 30 मार्च तक ही कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन अनुमन्य होगे।
- कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन हेतु क्रमशः रू0 500 के स्थान पर रू0 750/– एवं रू0 300 के स्थान पर रू0 500/– कर दिया जाय।

- कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक अवश्य बने होने चाहिए। इसके साथ ही पूर्व में प्राप्त पाठ्य–सामग्री को अध्ययन केन्द्र पर जमा करना होगा। पूर्व में प्राप्त पाठ्य–सामग्री को ज़मा करने का प्रमाण–पत्र केन्द्र समन्वयक द्वारा अग्रसारित होना चाहिए। अग्रसारण प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की दशा में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(20) परिचय पत्र हेतु निम्नानुसार व्यवस्था होगी:–

- परिचय पत्र का ब्लैंक स्टेशनरी सभी अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाय।
- नामांकन संख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात केन्द्र को यह दायित्व दिया जाय कि वे अपने यहां नामांकित शिक्षार्थियों को परिचय पत्र प्राचार्य/समन्वयक महोदय के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत करें।
- डुप्लीकेट परिचय पत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा निर्गत नहीं होगे, अपितु निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के प्रभारी प्रवेश अनुभाग द्वारा ही निर्गत किए जाये।

(21) कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए अधिकतम अवधि का प्रावधान होने के कारण पुनः पंजीकरण की स्थिति में शिक्षार्थी को एक वर्ष की अवधि में अपने सम्पूर्ण प्रश्नपत्रों को पूर्ण करने की परिस्थिति होने पर इस शर्त के साथ पुनः पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने की संस्तुति की गई कि वे एक वर्ष में कार्यक्रम को पूरा कर लें।

(22) अध्ययन केन्द्रों द्वारा प्रवेश आवेदन फार्म प्रेषित करने से पूर्व प्रवेश अर्हता सम्बन्धी जांच की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए केन्द्र समन्वयक एवं प्राचार्य जिम्मेदार होगे। इस आशय का आदेश अध्ययन केन्द्र समन्वयक एवं प्राचार्य को सक्षम अधिकारी के माध्यम से निर्गत किया जाए।

(23) सत्र 2013–14 हेतु प्रवेश परीक्षा वाले कार्यक्रमों एम0बी0ए0, बी0एड0, बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) एवं पी0जी0पी0डी0 में OMR Based application form लागू की जाय। यदि सम्भव हो तो सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी ओ.एम.आर. एप्लीकेशन फार्म प्रयुक्त किया जाये।

(24) सत्र 2010–11 में प्रयुक्त कम्प्यूटर, प्रवेश फार्म के प्रारूप को आवश्यक संशोधन के साथ सत्र 2012–13 से लागू किया जाये।

(25) सामान्य कार्यक्रमों में वर्ष पर्यन्त प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के कारण शिक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा पर आधारित कार्यक्रमों में भी प्रवेश लेने हेतु आवेदन करने की प्रबल सम्भावनाएं रहती हैं जिससे अनेक प्रकार की विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों की सूचना सामान्य सूचना विवरणिका में उल्लिखित न की जाए।

(26) शुल्क के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान अनुमन्य होगें–

(i) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर अवधारित शुल्क अदा करेंगे।

(ii) शुल्कों की अदायगी ऐसी तिथियों एवं पद्धति से की जायेगी जैसी समय–समय पर अधिसूचित की जाये।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाये जाने अथवा किसी अन्य कारण के अलावा आवेदन पत्र के साथ जमा की गयी शुल्क वापस नहीं की जायेगी।

(27) सत्र 2012–13 से प्रवेश सूचना विवरणिका में बैक पेपर फार्म को संलग्न न किया जाय।

(28) सत्र 2012–13 से सभी नामांकित शिक्षार्थियों के विवरण Hard Copy में अभिलेख हेतु संरक्षित किये जायें।

(29) सत्र 2012–13 में द्वितीय/तृतीय वर्ष के लिए अलग से सूचना विवरणिका मुद्रित कराया जाय जिसका मूल्य रु. 50/– रखा जाय। विक्रय करने वाले अध्ययन केन्द्रों को प्रति विवरणिका रु. 10/– देय होगा। छात्रों को प्रवेश विवरणिका क्रय करना अनिवार्य है।

(30) प्रवेश विवरणिका में दिये जाने वाले शैक्षणिक कैलेण्डर में छात्रों से सम्बन्धित सूचनाओं को भी समाहित किया जाये एवं क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयकों व अध्ययन केन्द्र समन्वयकों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालन पुस्तिका के रूप में (जैसा कि समन्वयकों की कार्यशाला में दी जाती है) समाहित किया जाये।

B <u>स्व अध्ययन पाठ्य सामग्री (SLM) से सम्बन्धित</u>

(31) सत्र 2012–13 में प्रवेशित शिक्षार्थियों की स्व अध्ययन सामग्री अध्ययन केन्द्रों न भेज कर सीधे शिक्षार्थियों के घर के पते पर रजिस्टर्ड पार्सल आदि के द्वारा प्रेषित की जायें।

(32) प्रभारी पाठ्य–सामग्री, पाठ्यसामग्री प्रेषण के लिए पोस्ट आफिस से सम्पर्क कर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर इसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(33) प्रभारी पाठ्य–सामग्री कार्यक्रमवार प्रत्येक सेट को गुणवत्तायुक्त लिफाफे/बैग में पैक कर शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी पाठ्य–सामग्री बैग हेतु प्रस्ताव को मूर्त रूप में प्रस्तुत करेगें।

(34) ऐसे कार्यक्रमों जिसमें अधिन्यास आवश्यक हो, पाठ्य–सामग्री प्रभारी प्रत्येक कार्यक्रमों के अधिन्यास प्रश्नपत्र प्रभारी अधिन्यास से प्राप्त कर पाठ्य–सामग्री के पैकेट के साथ संलग्न कराते हुए शिक्षार्थी को सीधे प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(35) प्रभारी पाठ्य–सामग्री सत्र 2012–13 के पाठ्य–सामग्री प्रेषण की व्यवस्था हेतु एवं अधिन्यास प्रभारी अधिन्यास सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही जैसे मुद्रण इत्यादि की प्रक्रिया हेतु पर्याप्त समय रहते हुए तैयारी पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।

(36) पाठ्यसामग्री आदि भेजने हेतु पते की स्लिप सूचना दो प्रतियों में विवरणिका में ही मुद्रित कराई जाय। इस प्रपत्र में शिक्षार्थी का नाम, कार्यक्रम का नाम, चुने हुए प्रश्नपत्रों का विवरण, माध्यम, शुल्क विवरण, अध्ययन केन्द्र का नाम और स्व अध्ययन सामग्री शिक्षार्थी को प्रेषित करने हेतु उसका

पता अंकित कराया जाय। अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा इसे पूरित करवाकर एवं सत्यापित करके इसकी एक प्रति प्रत्येक सप्ताह के अंत तक सूची के साथ प्रभारी पाठ्सामग्री को भेजना सुनिश्चित करें जिससे शिक्षार्थी के निवास स्थान पर पाठ्यसामग्री प्रेषित की जा सके। एक प्रति अध्ययन केन्द्र पर सुरक्षित रखी जाये एवं आवश्यकतानुसार प्रयुक्त की जाये।

C अधिन्यास से सम्बन्धित

(37) प्रभारी अधिन्यास, अधिन्यास के प्रश्न पत्र की वांछित संख्या में उपलब्धता अध्ययन केन्द्रों पर पाठ्य–सामग्री भेजने से पूर्व पाठ्य–सामग्री अनुभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(38) प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर/जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर व वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों हेतु 31 अक्टूबर/31 मार्च तक अधिन्यास जमा होंगे। क्षेत्रीय कार्यालय के अर्न्तगत आने वाले अध्ययन केन्द्रों के समन्वयक 7 नवम्बर/7 अप्रैल तक सभी अधिन्यास पुस्तिका एवं उनके केन्द्र पर विभिन्न कार्यक्रमों के परामर्श सत्र ले रहे प्राध्यापकों के पूर्ण विवरण (जैसे– नाम, पद, अनुभव, पता एवं मोबाइल नम्बर आदि के) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय को डेटाबेस तैयार करने के लिए उपलब्ध करा देंगे। क्षेत्रीय समन्वयक अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त उक्त सूची सम्बन्धित विद्या शाखा के निदेशकों के पास प्रेषित करेंगे जो अर्हता को ध्यान में रखते हुए परीक्षकों की सूची तैयार करेंगे, जो कुलपति जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। तंदपश्चात उक्त सूची के आधार पर मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करायेंगे।

(39) क्षेत्रीय समन्वयक अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर, जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर तथा जनवरी सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों/जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर, जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर तथा जुलाई सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों की अधिन्यास पुस्तिका की प्रश्नपत्र वार आवश्यकतानुसार संख्या में पैकेट्स बनवायेंगे एवं अपने अन्तर्गत आने वाले अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श ले रहे प्रध्यापकों को मूल्यांकन कार्य हेतु स्पीड पोस्ट के द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रेषित करायेंगे (उदहारणार्थ S-105 की अधिन्यास पुस्तिका S-107 पर और S-107 केन्द्र की अधिन्यास पुस्तिका किसी अन्य केन्द्र पर भेजना सुनिश्चित करेंगे)। अधिन्यास पुस्तिका मूल्यांकन कार्य हेतु 15 नवम्बर/15 अप्रैल तक परीक्षकों को प्रेषित हो जाने चाहिए। 30 नवम्बर/30 अप्रैल तक मूल्यांकित अधिन्यास पुस्तिका परीक्षकों से क्षेत्रीय केन्द्र को Award List के साथ प्राप्त हो जाने चाहिये। क्षेत्रीय कार्यालय मूल्यांकित अधिन्यास पुस्तिका की कम्प्यूटर प्रविष्टि दिनांक 10 दिसम्बर/10 मई तक पूर्ण कराकर 15 दिसम्बर/15 मई तक अधिन्यास के अंक CD में संरक्षित कराते हुए प्रभारी अधिन्यास को भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(40) प्रभारी अधिन्यास, अध्ययन केन्द्र समन्वयकों और क्षेत्रीय समन्वयकों को यह सूचना निर्गत करेंगे की प्रत्येक अधिन्यास उत्तर पुस्तिका पर शिक्षार्थियों के Performance के आधार पर Feedback हेतु टिप्पणी अनिवार्य रुप से लिखी जाय।

(41) अधिन्यास प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों के प्रश्नपत्रों के अधिन्यास 4 Sets में (Like A, B, C, D) बनवाना सुनिश्चित करेंगे। जिससे सभी शिक्षथियों को एक ही प्रकार के

अधिन्यास कार्य निर्गत न हो बल्कि अधिन्यास कार्य में विविधता हो जिससे परीक्षा अधिन्याय कार्य की सुचिता बनी रहे। प्रत्येक शिक्षार्थी को निर्देशित किया जाय कि प्रत्येक छात्र अधिन्यास की पुस्तिका पर उत्तर लिखने से पूर्व सम्पूर्ण प्रश्न को जैसा कि अधिन्यास प्रश्न पत्र में दिया गया हो अनिवार्य रुप से लिखेंगे। क्योंकि अधिन्यास प्रश्न पत्र के निर्माण का कार्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। अतः यदि सम्भव न हो तो 04 सेट में अधिन्यास प्रश्न पत्र के निर्माण को सत्र 2013–14 से लागू किया जाये।

(42) प्रभारी अधिन्यास कार्यक्रमवार प्रश्नपत्रों के Different Sets SLM Incharge को इस आशय के साथ उपलब्ध करायें कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के पाठ्य सामग्री के साथ अलग–अलग Set के अधिन्यास संलग्न हो जिससे अध्ययन केन्द्रों पर शिक्षार्थियों को अलग–अलग अधिन्यास प्रश्नपत्र प्राप्त हो सके।

(43) अधिन्यास के प्रथम दो ब्लाक के पाठ्य सामग्री सम्बन्धी प्रश्नों को ही अधिन्यास प्रश्न पत्र में समाहित किया जाये जबकि सत्रांत परीक्षा में प्रथम दो ब्लाक की पाठ्य सामग्री का 20% एवं शेष सामग्री को 50% का अधिभार दिया जाये।

(44) क्षेत्रीय केन्द्रों पर अधिन्यास मूल्यांकन, प्रवेश हेतु एवं अन्य क्रियाकलाप के लिए मानव व भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये जायें।

(45) क्षेत्रीय केन्द्रों पर अधिन्यास मूल्यांकन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन हेतु प्रति अधिन्यास रु. 1/– की दर से मानदेय दिया जाये, जो अतिरिक्त समय में काम करने वाले तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अथवा इस कार्य हेतु वाह्य स्रोत से लिये गये व्यक्तियों को देय होगा। परन्तु यह तब ही देय होगा जब क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा डेडलाईन के अनुसार तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाए।

(46) प्रभारी अधिन्यास भविष्य की योजना के अर्न्तगत सभी प्रश्न पत्रों के Question Banks तैयार करायेंगे और विभिन्न विद्या शाखाओं/विषय विशेषज्ञों के माध्यम से Question Bank से ही अधिन्यास के विभिन्न Sets तैयार कराना सुनिश्चित करायें।

D Project Work से सम्बन्धित

(47) Project कार्य जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर तथा जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जनवरी सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों के शिक्षार्थियों के लिए जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर एवं जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर तथा जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जुलाई सत्र के वार्षिक आधार पर संचालित कार्यक्रमों हेतु जमा करने के लिए 30 अप्रैल निर्धारित की गई है।

(48) Project कार्य के आन्तरिक अंक अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर एवं जनवरी सत्र के द्वितीय व जनवरी सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों में Project कार्य के अंक 20 दिसम्बर तथा जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर एवं जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर व जुलाई सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों के लिए Project कार्य के अंक 20 मई तक अनिवार्य रुप से प्रभारी अधिन्यास को उपलब्ध हो जाने चाहिये।

(49) सत्र 2012–13 से शिक्षार्थियों को Project कार्य की तीन प्रतियां अध्ययन केन्द्र पर जमा करनी होगी।

(50) अध्ययन केन्द्र समन्वयक अनिवार्य रुप से परियोजना कार्य के वाह्य मूल्यांकन हेतु दो प्रतियाँ Project Cell को जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर एवं जनवरी सत्र के द्वितीय व जनवरी सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों के लिए 5 दिसम्बर एवं जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर एवं जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर व जुलाई सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों के लिए 5 मई तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिये।

(51) अध्ययन केन्द्र समन्वयक सम्बन्धित Project Guide से Project के मूल्यांकन हेतु विषय विशेषज्ञ के नाम प्राप्त करते हुए, Project Cell को पूर्ण विवरण, नाम, पद, पता, मोबाइल नम्बर की सूची के साथ मूल्यांकन कार्य हेतु उपलब्ध करायेंगे। Project Cell विषय विशेषज्ञों के नाम की सूची निदेशक, School Board को अनुमोदनार्थ प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(52) सम्बन्धित विद्या शाखा के निदेशक प्रत्येक परियोजना कार्य के वाह्य मूल्यांकन हेतु अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा भेजे गये अर्ह Experts के नामों के साथ अन्य नामों को जोड़कर माननीय कुलपति जी के अनुमोदनार्थ मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेंगे। यह Project कार्य दो विशेषज्ञो के पास मूल्यांकन हेतु प्रेषित किए जायेंगे और दो विषय विशषज्ञों द्वारा आबंटित नम्बरों का औसत निकालकर शिक्षार्थी को परियोजना कार्य में अंक प्रदान किए जायेंगे। वाह्य विशेषज्ञों को इसके मूल्यांकन हेतु 20 दिन का समय आबंटित किया जायेगा। (जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर/जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर/जनवरी सत्र के वार्षिक आधार पर संचालित कार्यक्रमों हेतु 30 दिसम्बर तथा जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर/जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर/ जुलाई सत्र के वार्षिक आधार पर संचालित कार्यक्रमों हेतु 30 मई तक मूल्यांकित Project के अंक परीक्षा नियंत्रक को अनिवार्य रुप से प्राप्त हो जाने चाहिए।)

(53) मूल्यांकित परियोजना कार्य की एक प्रति परीक्षा परीणाम घोषित हो जाने के उपरान्त Project Cell के माध्यम से शिक्षार्थियों के अध्ययन हेतु पुस्तकालय को भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

E परीक्षा से सम्बन्धित

(54) बैक परीक्षा फार्म की अन्तिम तिथि जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर, जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर व जनवरी सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों हेतु 31 अक्टूबर एवं जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर तथा जुलाई सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों व जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर हेतु 31 मार्च निर्धारित की गई है जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को 10 नवम्बर एवं 10 अप्रैल तक प्राप्त हो जाने चाहिए।

(55) परीक्षा नियंत्रक कार्यालय बैक परीक्षा का फार्म आवश्यक संख्या में सभी अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चि करें एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी Upload करें।

(56) दिसम्बर परीक्षा परिणाम फरवरी के अन्तिम सप्ताह एवं जून परीक्षा परिणाम जुलाई के अन्तिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से घोषित किये जाए ।

(57) विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये परीक्षा केन्द्रों को यह निर्देशित किया जाय कि सत्रान्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिका Morning Shift की उसी दिन सांय एवं Evening Shift की उत्तर पुस्तिका अगले दिन पूर्वाह्न परीक्षा नियत्रंक के नाम स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से Dispatch हो जाना चाहिए। ऐसे केन्द्र जो इसका पालन नहीं करते उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आगामी सत्र हेतु परीक्षा केन्द्र निरस्त कर दिया जाय। **Dispatch** पर होने वाले अनुमानित व्यय की धनराशि पूर्व में ही **Study Centres** को उपलब्ध कराये जायें।

(58) गत वर्ष प्रेषित सभी पुराने उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा केन्द्रों से अविलम्ब वापस मगाएं जाय।

(59) सत्र 2012–13 से सत्रान्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक महोदय से यह अपेक्षा कि गई है कि क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी है की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिाकएं परीक्षकों के निवास स्थान पर प्रेषित नहीं किया जाय वरन इनका केवल केन्द्रीय मूल्यांकन कराया जाय। सूचना अप्राप्त होने पर निर्णय लिया गया कि यदि शासनादेश के द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन करना बाध्यकारी है तब शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार केन्द्रीय मूल्यांकन कराया जाय परन्तु यदि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है तब परीक्षकों को डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जायें।

(60) सत्र 2012–13 से उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षकों के द्वारा आबंटित अंको को **Award List** पर चढ़ाने के लिए **Disposable** कार्बनयुक्त **Award List** की (तीन प्रतियों में) व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

F परामर्श से सम्बन्धित

(61) 1 से 4 की छात्र संख्या पर 25% परामर्श सत्रों के संचालन की अनुमति दी जाय।

(62) विश्वविद्यालय मुख्य परिसर (S-005) के स्थिति में या तो शिक्षार्थियों के लिए रविवार को परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाय। परन्तु उस स्थिति में विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों को साप्ताहिक अवकाश रविवार के स्थान पर शुक्रवार को दिया जाये अथवा न्यूनतम दो परामर्श सत्र लेने वाले अध्यापकों को प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किया जाए, जो एक माह के अन्दर ले लिये जाए।

(63) विश्वविद्यालय मुख्य परिसर (S-005) के शिक्षार्थियों हेतु शहर में परामर्श सत्रों के आयोजन हेतु भवन इत्यादि की व्यवस्था करने एवं उनका संचालन करने हेतु एक स्वतंत्र अध्ययन केन्द्र के रुप में स्थापित किया जाय एवं अन्य अध्ययन केन्द्रों के सामान ही सुविधायें उपलब्ध कराई जाय।

(64) परामर्श सत्र की समय–सारणी पूर्व में ही शिक्षार्थियों को कैसे उपलब्ध हो इस पर निर्णय अध्ययन केन्द्र समन्वयकों की कार्याशाला में लिया जाय।

(65) प्रयोगात्मक विषयों के परामर्श सत्रों की संख्या के निर्धारण हेतु सम्बन्धित विद्या शाखा के निदेशकों से प्रस्ताव मांगे जाय।

G क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बन्धित

(66) क्षेत्रीय कार्यालयो की Monitoring हेतु निदेशकों द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण किया जाय जो क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य प्रगति की Report सीधे माननीय कुलपति जी को सन्दर्भित करें। इस हेतु मा. कुलपति जी द्वारा सत्र के प्रारम्भ में सभी निदेशकों को एक–एक क्षेत्रीय केन्द्र निर्दिष्ट कर दिया जाये।

(67) अध्ययन केन्द्र समन्वयकों की कार्यशाला से पूर्व क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयकों की कार्यशाला आयोजित करायी जाये। क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयकों से ही अधोसंरचना (स्थान आदि) तथा क्षेत्रीय केन्द्रों पर कार्यो के कुशल संचालन हेतु Requirement प्राप्त कर लिया जाए।

(68) प्रवेश, मूल्यांकन व अन्य कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय केन्द्रों पर निम्नांकित सुविधायें उपलब्ध करायी जाये।

(i) पूर्ण कालिक क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयक की व्यवस्था।

(ii) दो डाटा इण्ट्री आपरेटर की व्यवस्था की जाए ।

(iii) दो तृतीय एवं दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए।

(iv) अधोसंरचना (Infrastructure) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।
(1 लैपटाप, 5 डेस्कटाप, 2 स्कैनर, 4 प्रिन्टर, 1 हैवी डयूटी प्रिन्टर, समस्त कम्प्यूटर के बैकअप के लिए यू0पी0एस0, 2 पैनड्राइव, फर्नीचर, रैक, अलमारी आदि।)

(v) क्षेत्रीय समन्वयक को Impreset Money रु.5000/– आबंटित किया जाय एवं उन्हें दिये गये विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु समय–समय पर नियमानुसार अग्रिम दिलाने की व्यवस्था की जाय।

किसी भी प्रकार की विसंगति, अस्पष्टता या अपूर्णता की स्थिति में मा. कुलपति जी द्वारा तद्समय निर्णय लिया जाये।

डॉ.(एस.पी. गुप्ता) संयोजक	डॉ.(बी.एन. सिंह) सदस्य	डॉ.(एम.एन. सिंह) सदस्य	डॉ. (ओम जी गुप्ता) सदस्य
डॉ.(प्रेम प्रकाश दूबे) सदस्य	डॉ.(टी.एन. दूबे) सदस्य	डॉ(आर.पी.एस. यादव) सदस्य	डॉ.(संतोषा कुमार) सदस्य
डॉ.(देवेश रंजन त्रिपाठी) सदस्य	डॉ.(मुकेश कुमार) सदस्य	डॉ.(एच.सी. जायसवाल) सदस्य	डॉ.(गिरीश कुमार द्विवेदी) सचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु दिनांक 17.05.2012 को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का कार्यवृत्त। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा	संयोजक
2 डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा	सदस्य
3 डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा	सदस्य
4 डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा	सदस्य
5 डॉ. प्रेम प्रकाश दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा	सदस्य
6 डॉ. टी.एन. दूबे, पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
7. डा. आर.पी.एस. यादव, परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
8. डॉ. संतोषा कुमार, प्रभारी, पाठ्यसामग्री	सदस्य
9. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, प्रभारी, अधिन्यास प्रकोष्ठ	सदस्य
10. डॉ. मुकेश कुमार, विशेष कार्याधिकारी, परीक्षा	सदस्य
11. प्रो0 जयप्रकाश, समन्वयक, गोरखपुर	सदस्य
12. प्रो0 ए.एन. मौर्या, समन्वयक, वाराणसी	सदस्य
13. प्रो0 एस.के. पाण्डेय, समन्वयक, लखनऊ	सदस्य
14. डॉ0 वीना यादव, समन्वयक, बरेली	सदस्य
15. डॉ गिरीश कुमार द्विवेदी, प्रभारी प्रवेश अनुभाग	सचिव

बैठक का कार्यवृत्त

1. माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियाँ पर सम्यक विचार किया गया है एवं विचारोपरान्त उन्हें सर्व सम्मिति से स्वीकार किया गया। (परिशिष्ट–1)
2. उपस्थित सदस्यों द्वारा उठाये गये अतिरिक्त बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निम्न संस्तुतियाँ सर्वसम्मिति से की गई।

(i) अध्ययन केन्द्र समन्वयको की कार्यशाला यथाशीघ्र आयोजित कराई जाये जिससे सत्र 2012–13 शैक्षिक सत्र के लिए हो रहे अभिनव प्रयोगो एवं परिवर्तनों से उन्हें अवगत कराया जा सके। क्षेत्रीय केन्द्रवार अध्ययन केन्द्र समन्वयकों की कार्यशाला निम्नलिखित तिथियों पर सम्पन्न कराने की संस्तुति की गई –

(अ) क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद से सम्बद्ध अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों की कार्यशाला दिनांक 07 जून, 2012 को प्रातः 10:30 से सायं 4:00 बजे तक आयोजित कराई जाय। इस क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन केन्द्रों को इसकी सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय समन्वयक को अपने स्तर से करनी होगी।

(ब) क्षेत्रीय केन्द्र वाराणसी से सम्बद्ध अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों की कार्यशाला दिनांक 08 जून, 2012 को प्रातः 10:30 से सायं 4:00 बजे तक आयोजित कराई जाय। इस

क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन केन्द्रों को इसकी सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय समन्वयक को अपने स्तर से करनी होगी।

(स) क्षेत्रीय केन्द्र बरेली से सम्बद्ध अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों की कार्यशाला दिनांक 11 जून, 2012 को प्रातः 10:30 से सायं 4:00 बजे तक आयोजित कराई जाय। इस क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन केन्द्रों को इसकी सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय समन्वयक को अपने स्तर से करनी होगी।

(द) क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर से सम्बद्ध अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों की कार्यशाला दिनांक 13 जून, 2012 को प्रातः 10:30 से सायं 4:00 बजे तक आयोजित कराई जाय। इस क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन केन्द्रों को इसकी सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय समन्वयक को अपने स्तर से करनी होगी।

(य) क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ से सम्बद्ध अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों की कार्यशाला दिनांक 14 जून, 2012 को प्रातः 10:30 से सायं 4:00 बजे तक आयोजित कराई जाय। इस क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन केन्द्रों को इसकी सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय समन्वयक को अपने स्तर से करनी होगी।

(ii) <u>प्रवेश से सम्बन्धित</u>

(अ) प्रवेश आवेदन पत्रों को शिक्षार्थियों के लिए अनुमन्य अधिकतम अवधि की सीमा समाप्त हो जाने के उपरान्त 01 वर्ष तक संरक्षित रखा जाय तत्पश्चात उसे नष्ट कर दिया जाय। परन्तु विवादित प्रकरणें से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को नष्ट न किया जाय।

(ब) प्रवेश फार्मो की प्राप्ति रसीद बुक तीन प्रतियों में मुद्रित कराई जाय (एक मूल व दो कार्बन प्रति)

(स) ऐसे अध्ययन केन्द्र जहॉ छात्रा संख्या 50 या उससे अधिक हैं वहॉ के नव प्रवेशित शिक्षार्थियों के लिए अक्टूबर माह के प्रथम रविवार को इन्डक्सन मीटिंग आयोजित कराई जाय और इसके लिए अध्ययन केन्दों को रु0 500/– तक के व्यय का अतिरिक्त भुगतान किया जाय।

(द) यथा सम्भव किसी शहर/ग्रामीण अंचल में एक ही कार्यकम को कई अध्ययन केन्द्र पर आबंटित न किया जाय।

(य) यदि किसी शहर/कस्बे में कई अध्ययन केन्द्र हो और वहां अनुमन्य विभिन्न कार्यकमों में शिक्षार्थियों की संख्या भी कम हो तो उसे सम्मिलित करते हुए यदि सम्भव हो तो किसी एक केन्द्र पर सम्बन्धित कार्यक्रम की काउन्सिलिंग कराई जाय।

(iii) <u>परीक्षा से सम्बन्धित</u>

(अ) परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाए परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त 03 वर्ष के बाद नष्ट कर दिया जाय बशर्ते ऐसी उत्तर पुस्तिकाए जिस पर विवाद हो या प्रकरण न्यायालय या अन्य न्यायिक प्रकिया में विचाराधीन हो तो उसे नष्ट न किया जाय।

(ब) परीक्षा केन्द्र निर्धारण से पूर्व विगत वर्ष की परीक्षा के दौरान उड़ाका दल, आबर्जवर रिर्पोट, क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयकों के विचारों तथा परीक्षा केन्द्र के द्वारा विगत वर्षो में निष्पादित परीक्षा कार्य की गुणवत्ता व समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही परीक्षा केन्द्र आबंटन की प्रकिया को पूर्ण किया जाय।

(स) सभी परीक्षा केन्द्रों को गत वर्ष भेजे जाने वाले कार्यक्रम के सापेक्ष अधिक अग्रिम उपलब्ध कराया जाय जिससे वे नई व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण रजिस्टर डाक/पार्सल से सुविधा पूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कर सके।

(द) प्रयोगात्मक परीक्षा वाले केन्द्र को भी अग्रिम उपलब्ध कराया जाय जिससे वे आवयश्कतानुसार परीक्षकों एवं उसमें संलिप्त कर्मचारियों के चाय एवं अल्पाहार इत्यादि की व्यवस्था कर सके।

(य) प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो परीक्षा केन्द्र चयनित किए गये हो उन्हें प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि एवं परीक्षक के सम्बन्ध में पूर्व में ही सूचना प्रेषित कराई जाय।

(र) परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, प्रश्न–पत्र निर्माताओं, परामर्श सत्रों के देयकों इत्यादि का भुगतान त्वरित गति से निष्पादित कराये जाय।

(ल) परीक्षकों/अध्यापकों के यात्रा देयको का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्दर किया जाय।

(व) प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम की सूचना क्षेत्रीय केन्द्रों भी दि जाय।

(iv) <u>परामर्श सत्र से सम्बन्धित</u>

(अ) परामर्श सत्रों में उपस्थित होने वाले छात्रों की उपस्थिति परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराये गये उपस्थित पत्रक पर ही होना चाहिए। शिक्षार्थियों की उपस्थिति, उपस्थिति पंजिका पर दर्ज न कराई जाय बल्कि एक अलग पत्रक पर कराया जाय। इस उपस्थिति पत्रक पर तिथि एव विषयवार शिक्षार्थियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। हस्ताक्षर न होने की दशा में परामर्श सत्रों के देयक का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

(ब) परामर्श प्रकोष्ठ शिक्षार्थियों के उपस्थिति के रिकार्ड हेतु उपस्थित पत्रक तैयार कर सभी अध्ययन केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में भेजवाना सुनिश्चित कराए।

(v) <u>क्षेत्रीय केन्द्रों से सम्बन्धित</u>

(अ) केन्द्र समन्वयकों द्वारा केन्द्र के समुचित संचालन हेतु की गई मॉगों पर त्वरित कार्यवाही की जाये।

(ब) क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयकों द्वारा अध्ययन केन्द्रो के औचक निरीक्षण करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय हो। (निरीक्षण हेतु उस क्षेत्रीय केन्द्र से सम्बन्धित निदेशक की अनुमति पूर्व में प्राप्त करना आवश्यक है।)

(स) क्षेत्रीय केन्द्रों पर उपलब्ध कराए गये सुविधाओं जैसे फैक्स, कम्प्यूटर, वाटर कूलर एवं अन्य उपकरण के रखरखाव हेतु ए.एम.सी. कराई जाये।

(द) क्षेत्रीय केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं जैसे– फोन एवं फैक्स इत्यादि के बिलों का भुगतान नियमित रुप से किया जाये।

(vi) <u>वित्तीय निहितार्थ</u>

(अ) विभिन्न क्रिया कलापों के लिये आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव शक्ति की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाये।

(ब) सामान्यतः किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त प्रवेश अनुभाग को प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद बुक छपवानी होगी जिस पर अनुमानतः 50000/– रु. का व्यय होगा। परिचय पत्र बनवाने पर होने वाले लगभग 200000/–, के व्यय के स्थान पर आई–कार्ड स्टेशनरी के मुद्रण पर मात्र 50000/– रु. व्यय होगा।

(स) सामान्यतः किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त SLM अनुभाग को पूर्व में दी जा रही पॉलीथीन लिफाफे व टाट व ट्रक भाड़े के स्थान पर मजबूत बैगों के क्रय आदि एवं डाक व्यय पर व्यय करना होगा। पन्नी व टाट के स्थान पर बैग क्रय पर लगभग 4 लाख रुपये का एवं ट्रक भाड़े के स्थान पर डाक व्यय पर लगभग 15 लाख का अतिरिक्त व्यय होगा।

(द) सामान्यतः किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त अधिन्यास अनुभाग को चार सेट में अधिन्यास बनवाने पर लगभग 15 लाख रुपये एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर कार्य कराने पर लगभग 2 लाख का अतिरिक्त व्यय होगा।

(य) सामान्यतः किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त परामर्श प्रकोष्ठ को परामर्श उपस्थिति पत्रक छपवाने पर लगभग 2 लाख का व्यय होगा।

(र) सामान्यतः किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त परीक्षा अनुभाग के द्वारा डिस्पोजेबल कार्बन वाली अंक पत्र (Award List) छपवाने पर लगभग 1 लाख का अतिरिक्त व्यय होगा।

डॉ. (एस.पी. गुप्ता)
संयोजक

डॉ. (बी.एन. सिंह)
सदस्य

डॉ. (एम.एन. सिंह)
सदस्य

डॉ. (ओम जी गुप्ता)
सदस्य

डॉ. (प्रेम प्रकाश दूबे)
सदस्य

डॉ. (टी.एन. दूबे)
सदस्य

डा. (आर.पी.एस. यादव)
सदस्य

डॉ. (संतोषा कुमार)
सदस्य

डॉ. (देवेश रंजन त्रिपाठी)
सदस्य

डॉ. (मुकेश कुमार)
सदस्य

डॉ. (गिरीश कुमार द्विवेदी)
सचिव

संलग्नक -II

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

माननीय कुलपति महोदय द्वारा योग में डिप्लोमा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 30--05--2012 को छात्र कल्याण भवन, इलाहाबाद में पूर्वाह्न 11.00 आहूत की गई। इसमें निम्नलिखित विशेषज्ञों ने प्रतिभाग लिया :--

1. डॉ. अरविन्द मिश्र, रीडर, फिजिकल एजूकेशन इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद
2. डॉ. भास्कर शुक्ल, सहायक प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इलाहाबाद
3. श्री कार्तिक कुमार, समन्वयक, सदगुरू सदाफल देव विहंगम योग संस्थान झूसी इलाहाबाद
4. डॉ. सन्तोषा कुमार, रीडर, प्रभारी पाठ्यसामग्री, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5. डॉ एच.सी. जायसवाल, वरिष्ठ परामर्शदाता, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
6. डॉ. जी.के. द्विवेदी, प्रभारी प्रवेश, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तावित पाठ्यक्रम संरचना निम्नवत है:--

Paper No.	Course Code	Introduction to Yoga पाठ्यक्रम का शीर्षक	Cred
	D.Y.Ed- 01	Yoga: An Introduction, Indian Culture, Life and Messages of Swami Vivekanand and Shri RamKrishna योग: परिचय भारतीय संस्कृति स्वामी विवेकानन्द एवं श्री रामकृष्ण के जीवनवृत्त व सन्देश	4
	D.Y.Ed -02	Patanjali Yoga and Hath Yoga पातञ्जलि योग और हठ योग	4
	D.Y.Ed-03	Yoga and Value Education, Application of Yoga in Modern Life योग एवं मूल्यपरक शिक्षा, योग का आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग	4
	D.Y.Ed-04	Yoga, Psychology and Mental Health योग, मनोविज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य	4
	D.Y.Ed 05	Structure and function of Human body and effect of Yogaic Practices on it मानव शरीर की संरचना एवं कार्य तथा इन पर यौगिक अभ्यास का प्रभाव	4
	D.Y.Ed 06(P)	Yogasana, Pranayam, Meditation, Devotional music and Kriyas योगासन, प्राणायाम, ध्यान, भक्तिपरक संगीत एवं कियाएँ	8
	D.Y.Ed 07(P)	Teaching Practice शिक्षण अभ्यास	4
	D.Y.Ed 08(P)	Project and Viva परियोजना एवं मौखिकी	8
Total Credits			40

योग में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रमाण–पत्र वाले पाठ्यक्रमों के पाठ्य पुस्तक को पूर्व की भाँति यथावत रखे जाने की संस्तुति की जबकि अन्य प्रश्न–पत्रो के लिए निम्नलिखित पाठ्यसामग्री रखने की संस्तुति की गई :–

D.Y.Ed-02

(1) हठ योग प्रदीपिका

D.Y.Ed-04

(1). Suructure and fuction of human body.....Published by Kaivalyadhama. (Hindi version)

(2) Anatomy & Physiology for Nurses, Evilyn Pearce (Hindi version) by Manu & Mahesh

D.Y.Ed-06

(1) Asan by Swami Kuvalayanada, Kalvalyadhama, Lonavla (Hindi version)

(2) Pranyama by Swami Kuvalayanada, Kalvalyadhama, Lonavla (Hindi version)

30.05.12

डॉ. अरविन्द मिश्र
सदस्य

30.5.12

श्री कार्तिक कुमार
सदस्य

30/05/12

डॉ. भास्कर शुक्ल
सदस्य

डॉ. सन्तोष कुमार
प्रभारी पाठ्यसामग्री

डॉ. एच.सी. जायसवाल
प्रभारी पाठ्यसामग्री लेखन

डॉ. जी.के. द्विवेदी
प्रभारी प्रवेश